रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 883] नई दिल्ली, बुधवार, जून 3, 2009/ज्येष्ठ 13, 1931

No. 883] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 3, 2009/JYAISTHA 13, 1931

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2009

का.आ. 1392(अ).—कालेसर राष्ट्रीय उद्यान चार राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, हिमांचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा की सीमा पर अवस्थित है, यह शिवालिक पहाड़ियों की तराई में आता है, इसकी सीमाएं दो विभिन्न राज्यों के दो संरक्षित क्षेत्रों अर्थात् उत्तर की ओर हिमाचल प्रदेश की सिम्बलबाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य और पूरब की ओर से उत्तराखंड के राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में बंटा है और कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के पूर्व-पश्चिम के पास है तथा इस प्रकार दोनों के बीच कोई भौतिक अवरोध विद्यमान नहीं है और संपूर्ण क्षेत्र में वनस्पति और पशु प्रजातियां बहुताय में हैं तथा इनका ऐतिहासिक, आर्थिक और औषधीय महत्व है तथा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में सरीसृप जीव-जन्तु बहुतायत में हैं जिसके अंतर्गत लम्बी पूंछ वाले गिरगिट, भारतीय राक पायथन, किंग कोबरा, कामन करेत, रेड स्नेक, रसेल वायपर, पिट वायपर आदि भी हैं;

और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र का पारिस्थितकीय और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के रूप में सुरक्षा और संरक्षण करने की आवश्यकता है;

और केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य में नीचे वर्णित सीमा के भीतर संलग्न कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र को 'पर्यावरणीय संवेदनशील जोन' (जिसे इसमें इसके पश्चत् पर्यावरणीय संवेदनशील जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव करती है और इस प्रयोजन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के अधीन अपेक्षानुसार इस अधिसूचना को उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जन साधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को डाक द्वारा लिखित में या इलेक्ट्रानिक रूप से ई-मेल पता: envisect@nic.in पर सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए ऐसा कर सकेगा ।

प्रारूप प्रस्ताव

1. पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन - (i) **उक्त पारिस्थितिकीय संवदेनशील जोन कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के** संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक का क्षेत्र है, जो हरियाणा के यमुनानगर जिले में 30° 16' 00" से 30° 28' 00" उत्तरी अक्षांश और 76° 26' 00" से 76° 36' 00" पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है ।

(ii) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन का मानचित्र उपाबंध -क पर है और पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के पांच किलोमीटर के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची निम्नानुसार है :

चिकन, कुंसली, खिल्लानवाला, बागपत, भागेरी, खिजरी, नागल पट्टी मिल्क, चांदपुर, बुम्बेवला, ताजेवाला, (गुटरेन)चिकन, अम्बवाला, तिबरीयान, रयानवाला, झंडु ओड, फैजपुर, गरही, कालेसर, मोहम्मदुवास ।

(iii) कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के सभी क्रियाकलाप वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों द्वारा शासित किए जा रहे हैं ।

2. पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर-

(i) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर तैयार किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(ii) जोनल मास्टर प्लान सभी संबद्ध राज्य विभागों जैसे पर्यावरण, वन, शहरी विकास, पर्यटन, नगरपालिका और राजस्व विभाग तथा इसके पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारों को समन्वित करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सम्यक् रूप से सम्मिलित करके तैयार किया जाएगा तथा निरावृत्त क्षेत्रों के पुनर्स्थापन, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलागम क्षेत्रों के प्रबंध, जल भरण प्रबंध, भूमिगत जल प्रबंध, मृदा और आद्रता संरक्षण, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं के लिए उपबंध किया जाएगा, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

(iii) जोनल मास्टर प्लान सभी विद्यमान ग्राम स्थापनों, वनों के प्रकार और किस्म, कृषि क्षेत्र, उर्वरक भूमि, हरित क्षेत्र, बागवानी क्षेत्र, बागानों, झीलों और अन्य जल निकायों का सीमांकन करेगा और हरित उपयोग से भूमि के उपयोग में जैसे बागान, बागवानी क्षेत्र, कृषि उद्यान और ऐसे ही अन्य स्थानों को गैर हरित उपयोग के लिए परिवर्तित करना तब के सिवाय जोनल मास्टर प्लान में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब कृषि भूमियों का बिल्कुल सीमित संपरिवर्तन विद्यमान स्थानीय जनसंख्या के प्राकृतिक विकास के साथ विद्यमान स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो ।

(iv) जोनल मास्टर प्लान राज्य स्तरीय मानीटरी समिति के लिए उनके द्वारा लिए जाने वाले किसी विनिश्चय हेतु जिसके अंतर्गत शिथिल करने के लिए विचार किया जाना भी है, एक संदर्भ दस्तावेज होगा ।

(v) जोनल मास्टर प्लान, यातायात के विनियमन के लिए उपाय उपदर्शित करेगा और अनुबंधों को अधिकथित करेगा ।

(vi) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान की तैयारी के लंबित रहने और केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उसका अनुमोदन सभी नए संनिर्माण प्रस्तावों की संवीक्षा किए जाने और पैरा चार में यथानिर्दिष्ट मानीटरी समिति द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात् ही अनुज्ञात किया जाएगा और वन, हरित और कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कमी नहीं होगी ।

(vii) राज्य सरकार उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि आवश्यक हों, विहित करेगी ।

3. पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में विनियमित या निर्बंधित क्रियाकलाप-

(क) औद्योगिक इकाइयां :--

(I) कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से दो किलोमीटर के भीतर किसी नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

(II) कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से तीन किलोमीटर के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

(III) कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से पांच किलोमीटर के भीतर किसी नए उच्च प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

(ख) संनिर्माण क्रियाकलाप :--

(I) कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से पांच सौ मीटर की दूरी तक एक हजार घन इंच से अनधिक की विमाओं के नलकूप चैंबर के सिवाय, किसी प्रकार का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(II) कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से पांच सौ मीटर से सात सौ मीटर के बीच आने वाले क्षेत्र में दो मंजिला (पच्चीस फीट) से अधिक किसी भवन का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ग) उत्खनन और खनन :--

(I) कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच सौ मीटर तक खनन कार्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(II) कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दो किलोमीटर तक संदलन कार्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(घ) वृक्ष :-- वन और राजस्व भूमि पर वृक्षों की कटाई सरकार या उस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रबंध योजना के अधीन रहते हुए की जाएगी ।

(ङ) जल :--

(i) भूमिगत जल का निष्कर्षण केवल सद्भावपूर्वक कृषि और घरेलू खपत के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और राज्य भूमिगत जल बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, भू-जल का विक्रय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ii) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि से संदूषण और प्रदूषण भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।

(च) ध्वनि प्रदूषण :-- पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग हरियाणा पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में ध्वनि नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनिमय बनाने वाला प्राधिकारी होगा ।

(छ) बहिस्रावों का निर्वहन :-- पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के भीतर किसी जल निकाय में कोई अनुपचारित या औद्योगिक बहिस्राव निर्गमन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और उपचारित बहिस्राव जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों को पूरा करेंगे ।

(ज) ठोस अपशिष्ट :-

(i) ठोस अपशिष्ट के व्ययन का क्रियान्वयन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा और स्थानीय प्राधिकारी जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथकन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ।

(ii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृषि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा और अकार्बनिक सामग्री का व्ययन किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के बाहर चिन्हित किए गए स्थल पर किया जाएगा तथा ठोस अपशिष्टों का जलाना या भस्मीकरण पारिस्थतिकीय संवेदनशील जोन में अनुज्ञात किया जाएगा ।

4. मानीटरी समिति-

(1) केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का अनुपालन को मानीटर करने के लिए मानीटरी समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन करती है ।

(2) मानीटरी समिति दस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी और मानीटरी समिति का अध्यक्ष ऐसा विख्यात व्यक्ति होगा जिसको सिद्ध प्रबंधकीय या प्रशासनिक अनुभव और स्थानीय मुद्दों की समझ हो तथा अन्य सदस्य निम्नलिखित होंगे :–

I. उप वन पालक (प्रादेशिक), यमुनानगर, सदस्य-सचिव ;

II. भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ;

III. पर्यावरण (धरोहर संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

IV. प्रादेशिक अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यमुनानगर ;

V. क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार ;

(3) मानीटरी समिति की शक्तियां और कृत्य केवल इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन तक निर्बंधित होंगे ।

(4) ऐसे क्रियाकलापों की दशा में, जिनमें पूर्व अनुमति या पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित है, ऐसे क्रियाकलाप राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए) को निर्दिष्ट किए जाएंगे जो पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना तारीख 14 सितंबर, 2007 के उपबंधों के अनुसार ऐसी अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा ।

(5) मानीटरी समिति, मुद्दा दर मुद्दा आधार की अपेक्षाओं पर आश्रित रहते हुए उसके निष्कर्षों में सहायता करने के लिए संबद्ध विभागों या संगमों से प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव इस अधिसूचना के उपबंधों के अननुपालन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(7) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष पर्यावरण और वन मंत्रालय को 31 मार्च तक अपनी वार्षिक की गई कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय समय-समय पर मानीटरी समिति के कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए अपने निदेश देगा ।

[फा. सं. 30/1/2008-ईएसजेड]
डॉ. जी. वी. सुब्रह्मन्यम, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध क

Eco-Sensitive Zone for Kalesar National Park
YAMUNANAGAR DISTRICT
Legend
villages
Canals
Roads
National Highway
State Highway
District Road
Village Road
Tracks
Rivers
Boundary
1 centimeter equals 750 meters
Yamunanagar District
Kalesar National Park
Legend
Restriction on Activities
No Establishment of air polluting industry upto 3000 Metres
Ho Crushing activity & wood based industry upto 2000 Metres
No Mining activity, except Cultivation of agriculture & Construction of tube well upto 500 Metres
77°24'0"E
77°28'0"E
77°32'0"E
77°36'0"E

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2009

S.O. 1392(E).—WHEREAS, the Kalesar National Park is located on the junction of the four states viz. Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Uttrakhand and Haryana, it falls in Shiwalik foot hills, it shares boundaries with two protected areas of two different states namely the Simbalbarha Wildlife sanctuary of Himachal Pradesh towards the North and Rajaji National Park of Uttrakhand towards the East and Kalesar Wildlife Sanctuary is just towards the East-West of Kalesar National Park and as such there does not exist any physical barrier between the two and the entire area is very rich in plant and animal species and have historical, economic and medicinal significance and the Kalesar National Park is rich in reptilian fauna which includes large monitor lizard, Indian rock python, King cobra, common krait, Red snake, Russel viper, Pit viper etc.;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area upto five kilometers from the boundary of the protected area of Kalesar National Park as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view;

AND WHEREAS, the Central Government proposes to notify the area up to five kilometers from the boundary of the protected area of Kalesar National Park enclosed within the boundary described below in the State of Haryana as 'Eco Sensitive Zone' (hereinafter called as the Eco Sensitive Zone) in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and for that purpose hereby publish this notification as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may do so in writing for consideration of the Central Government within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110003, or electronically at e-mail address: envisect@nic.in.

DRAFT PROPOSALS

1. Boundaries of Eco-sensitive Zone – (i) The said Eco-sensitive Zone is the area upto five kilometers from the boundary of the protected area of Kalesar National Park situated in the Yamunanagar District of Haryana between 30^0 16' 00" to 30^0 28' 00" North latitude and between 76^0 26' 00" to 76^0 36' 00" East longitude.

(ii) The map of the Eco-sensitive Zone is at Annexure-A and the list of the villages falling within five kilometers distance of the boundary of Kalesar National Park in the Eco-sensitive Zone are as follows:

Chickan, Kansli, Khillanwala, Bagpat, Bhageri, Khizri, Naggal Patti Milk, Chandpur, Baumbewala, Tajewala, (Gutrian) Chikan, Ambwala, Tibriyan, Rayanwala, Jhandu Oad, Faizpur, Garhi, Kalesar, Mohammaduwas.

(iii) All activities in the Kalesar National Park are being governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972).

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone -

(i) A Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government within a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette and submitted for approval to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, Government of India.

(ii) The Zonal Master Plan shall be prepared with due involvement of all concerned State Departments, such as Environment, Forest, Urban Development, Tourism, Municipal and Revenue Department and the Haryana State Pollution Control Board for integrating environmental and ecological considerations into it and shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(iii) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing village settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and change of land use from green uses such as orchards, horticulture areas, agriculture parks and others like places to non green uses shall be permitted in the Zonal Master Plan, except that strictly limited conversion of agricultural lands maybe permitted to meet the residential needs of the existing local residents together with natural growth of the existing local populations, without the prior approval of the State Government.

(iv) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the State Level Monitoring Committee for any decision to be taken by them including consideration for relaxation.

(v) The Zonal Master Plan shall indicate measures and lay down stipulations for regulation of traffic.

(vi) Pending the preparation of the Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone and approval thereof by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, all new constructions shall be allowed only after the proposals are scrutinized and approved by the Monitoring Committee as referred to in paragraph 4 and there shall be no consequential reduction i Forest, Green and Agricultural area.

(vii) The State Government shall prescribe additional measures, if necessary, in furtherance of the objectives and for giving effect to the provisions of this notification.

3. Regulated or restrictive activities in the Eco-sensitive Zone-

(a) Industrial Units:-

(I) No new wood based industry shall be set up within two kilometers from the boundary of the Kalesar National Park.

(II) No new polluting industry shall be set up within three kilometers from the boundary of the Kalesar National Park.

(III) No new highly polluting industry shall be set up within five kilometers from the boundary of the Kalesar National Park.

(b) Construction Activities:-

(I) From the boundary of Kalesar National Park upto a distance of five hundred meters, no construction of any kind shall be allowed except tube well chamber of dimension not more than one thousand cubic inches.

(II) In the area falling between five hundred meters to seven hundred meters from the boundary of Kalesar National Park, construction of any building more than two storeys (twenty five feet) shall not be allowed.

(c) Quarrying and Mining:-

(I) Mining upto five hundred meters shall not be allowed from the boundary of the protected area of Kalesar National Park.

(II) Crushing activity upto two kilometers shall not be allowed from the boundary of the protected area of Kalesar National Park.

(d) Trees:- Felling of trees on forest and revenue land shall be subject to the approved management plan by the Government or an authority nominated for that purpose.

(e) Water:-

(i) Extraction of ground water shall be permitted only for the bona-fide agricultural and domestic consumption and sale of ground water shall be permitted except with the prior approval of the State Ground Water Board.

(ii) All steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water including from agriculture.

(f) Noise pollution:- The Environment Department or the State Forest Department, Haryana shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of noise in the Eco-sensitive Zone.

(g) Discharge of effluents:- No untreated or industrial effluent shall be permitted to be discharged into any water body within the Eco-sensitive Zone and treated effluent shall meet the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

(h) Solid Wastes:-

(i) The solid waste disposal shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 and the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components.

(iii) The biodegradable material may be recycled preferably through composting or vermiculture and the inorganic material may be disposed of in an environmentally acceptable manner at a site identified outside the Eco-sensitive Zone and burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

4. **Monitoring Committee -**

(1) Under the provisions of sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a committee to be called the Monitoring Committee to monitor the compliance with the provisions of this notification.

(2) The Monitoring Committee shall consist of not more than ten members and the Chairman of the Monitoring Committee shall be an eminent person with proven managerial or administrative experience and understanding of local issues and the other members shall be:-

I. Deputy Conservator of Forests (Territorial), Yamunanagar as the Member Secretary;
II. a representative of the Ministry of Environment and Forests, Government of India;
III. one representative of Non-Governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of India;
IV. Regional Officer, Haryana State Pollution Control Board, Yamunanagar;
V. Senior Town Planner of the area;

(3) The powers and functions of the Monitoring Committee shall be restricted to the compliance of the provisions of this notification only.

(4) In case of activities requiring prior permission or environmental clearance, such activities shall be referred to the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), which shall be the Competent Authority for grant of such clearances as per the provisions of the Environmental Impact Assessment Notification, dated the 14th September 2007.

(5) The Monitoring Committee may also invite representatives or experts from concerned Departments or Associations to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Chairman or Member Secretary of Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 for non-compliance of the provisions of this notification.

(7). The Monitoring Committee shall submit its annual action taken reports by the 31st March of every year to the Ministry of Environment and Forests and the Central Government in the Ministry of Environment and Forests shall give its directions to the Monitoring Committee from time to time for effective discharge of the functions of the Monitoring Committee.

[F. No. 30/1/2008-ESZ]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

ANNEXURE A

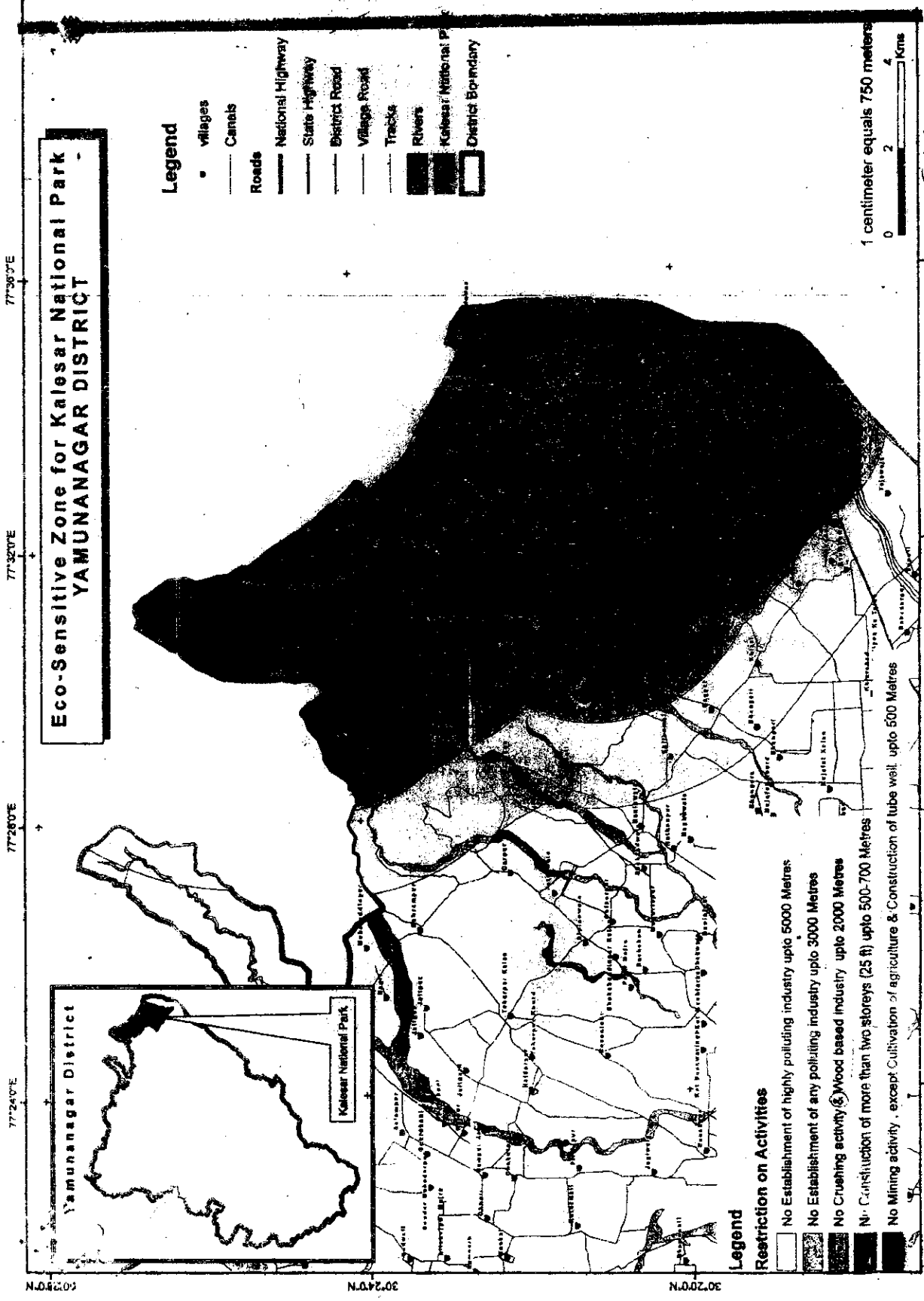

Eco-Sensitive Zone for Kalesar National Park
YAMUNANAGAR DISTRICT
Legend
villages
Canals
Roads
National Highway
State Highway
District Road
Village Road
Tracks
Rivers
Kalesar National Park
District Boundary
1 centimeter equals 750 meters
0 2 4 Kms
Yamunanagar District
Kalesar National Park
Legend
Restriction on Activities
No Establishment of highly polluting industry upto 5000 Metres
No Establishment of any polluting industry upto 3000 Metres
No Crushing activity & Wood based industry upto 2000 Metres
No Construction of more than two storeys (25 ft) upto 500-700 Metres
No Mining activity, except Cultivation of agriculture & Construction of tube well upto 500 Metres
77°24'0"E
77°28'0"E
77°32'0"E
77°36'0"E
30°20'0"N
30°24'0"N

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2009

का.आ. 1393(अ).—कालेसर वन्य जीव अभ्यारण चार राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा की सीमा पर अवस्थित है, यह शिवालिक पहाड़ियों की तराई में आता है, इसकी सीमाएं दो विभिन्न राज्यों के दो संरक्षित क्षेत्रों अर्थात् उत्तर की ओर हिमाचल प्रदेश की सिम्बलबाड़ा वन्यजीव अभ्यारण और पूरब की ओर से उत्तराखंड के राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में बंटा है और संपूर्ण क्षेत्र में वनस्पति और पशु प्रजातियां बहुताय में हैं तथा इनका ऐतिहासिक, आर्थिक और औषधीय महत्व है ।

और कालेसर वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र का पारिस्थितकीय और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के रूप में सुरक्षा और संरक्षण करने की आवश्यकता है ;

और केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य में नीचे वर्णित सीमा के भीतर संलग्न कालेसर वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र को 'पर्यावरणीय संवेदनशील जोन' (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरणीय संवेदनशील जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव करती है और इस प्रयोजन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन अपेक्षानुसार इस अधिसूचना को उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जन साधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को डाक द्वारा लिखित में या इलेक्ट्रानिक रूप से ई-मेल पता: envisect@nic.in पर सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए ऐसा कर सकेगा ।

प्रारूप प्रस्ताव

1. **पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन** - (1) उक्त पारिस्थितिकीय संवदेनशील जोन कालेसर वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक का क्षेत्र है, जो हरियाणा के यमुनानगर जिले में 30° 16' 00" से 30° 28' 00" उत्तरी अक्षांश और 77° 20' 00" से 77° 37' 00" पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है ।

(2) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन का मानचित्र उपाबंध -क पर है और पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में कालेसर वन्य जीव अभ्यारण की सीमा के पांच किलोमीटर के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची निम्नानुसार है :

सालेमपुर, बहादुरपुर, गोहराबनी, राजपुर, रामपुर जाट, छोली, चबूतरान, कटारवाली, पीरथीपुर, जोगीवाला, मानकपुर, अर्जन मजरा, लैहा, लालहारी खुर्द, मणीपुर, दादूपुर जटन, घिसरपरी, लेडा खदीर, कोटरा खानसिंह, हाफिजपुर, मुहाबलीवाला, तिब्बी, तोहन, बलोहल्प, बकारवाला, बहानगेरा, बहानगेरी, मौजाफत खुर्द, खिजराबाद, सतियोन, कारालो, बहादरपुर, कोतीपुर (किशनपुर) देकरीवाला, नैनावाला, सपोती, बरिनागली, नगला, मुहजुद्दीनपुर, जतिपुर, हैदरपुर, तहारपुर कलन, बंसतौर, शहाबुद्दीनपुर खुर्द, मजारा, बच्चन, मुक्रीबपुर, कोट, मुशीरका धकवाला, दौलतपुर, अहमदपुर, कोट सरकारी, बहरामपुर, दारपुर, जटानवाला, सिपेनवाला, चिम्बोरपुर, शहजादवाला, बनीवाल, नाथनपुर, मोगीवाला, खिल्लानवाला, बागपत, खिजरी, नागल पट्टी, मिल्क, चांदपुर, बुम्बेवला, ताजेवाला, कयानवाला, झंडु गड, तिबरीयान, अम्बवाला, फैजपुर, कालेसर, मोहम्मदुवास, गरही, चिकन, कंसली, गुटरेन चिकन।

(3) कालेसर वन्य जीव अभ्यारण के सभी क्रियाकलाप वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों द्वारा शासित किए जा रहे हैं ।

2. **पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर-**

(i) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर तैयार किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(ii) जोनल मास्टर प्लान सभी संबद्ध राज्य विभागों जैसे पर्यावरण, वन, शहरी विकास, पर्यटन, नगरपालिका और राजस्व विभाग तथा इसके पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारों को समन्वित करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सम्यक् रूप से सम्मिलित करके तैयार किया जाएगा तथा निरावृत्त क्षेत्रों के पुनर्स्थापन, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलागम क्षेत्रों के प्रबंध, जल भरण प्रबंध, भूमिगत जल प्रबंध, मृदा और आद्रता संरक्षण, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं के लिए उपबंध किया जाएगा, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

(iii) जोनल मास्टर प्लान सभी विद्यमान ग्राम स्थापनों, वनों के प्रकार और किस्म, कृषि क्षेत्र, उर्वरक भूमि, हरित क्षेत्र, बागवानी क्षेत्र, बागानों, झीलों और अन्य जल निकायों का सीमांकन करेगा और हरित उपयोग से भूमि के उपयोग में जैसे बागान, बागवानी क्षेत्र, कृषि उद्यान और ऐसे ही अन्य स्थानों को गैर हरित उपयोग के लिए

परिवर्तित करना जब के सिवाय जोनल मास्टर प्लान में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब कृषि भूमियों का बिल्कुल सीमित संपरिवर्तन विद्यमान स्थानीय जनसंख्या के प्राकृतिक विकास के साथ विद्यमान स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो ।

(iv) जोनल मास्टर प्लान राज्य स्तरीय मानीटरी समिति के लिए उनके द्वारा लिए जाने वाले किसी विनिश्चय हेतु जिसके अंतर्गत शिथिल करने के लिए विचार किया जाना भी है, एक संदर्भ दस्तावेज होगा ।

(v) जोनल मास्टर प्लान, यातायात के विनियमन के लिए उपाय उपदर्शित करेगा और अनुबंधों को अधिकथित करेगा ।

(vi) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान की तैयारी के लंबित रहने और केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उसका अनुमोदन सभी नए संनिर्माण प्रस्तावों की संवीक्षा किए जाने और पैरा चार में यथानिर्दिष्ट मानीटरी समिति द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात् ही अनुज्ञात किया जाएगा और वन, हरित और कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कमी नहीं होगी ।

(vii) राज्य सरकार उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि आवश्यक हों, विहित करेगी ।

3. पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में विनियमित या निर्बंधित क्रियाकलाप-

(क) औद्योगिक इकाइयां :-

(I) कालेसर वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से दो किलोमीटर के भीतर किसी नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

(II) कालेसर वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से तीन किलोमीटर के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

(III) कालेसर वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से पांच किलोमीटर के भीतर किसी नए उच्च प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

(ख) संनिर्माण क्रियाकलाप :-

(I) कालेसर वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से सौ मीटर की दूरी तक एक हजार घन इंच से अनधिक की विमाओं के नलकूप चैंबर के सिवाय, किसी प्रकार का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(II) कालेसर वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से सौ मीटर से तीन सौ मीटर के बीच आने वाले क्षेत्र में दो मंजिला (पच्चीस फीट) से अधिक किसी भवन का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ग) उत्खनन और खनन :-

(I) कालेसर वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक खनन कार्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(II) कालेसर वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दो किलोमीटर तक संदलन कार्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(घ) वृक्ष :- वन और राजस्व भूमि पर वृक्षों की कटाई सरकार या उस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रबंध योजना के अधीन रहते हुए की जाएगी ।

(ङ) जल :-

(i) भूमिगत जल का निष्कर्षण केवल सद्भावपूर्वक कृषि और घरेलू खपत के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और राज्य भूमिगत जल बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, भू-जल का विक्रय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ii) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि से संदूषण और प्रदूषण भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।

(च) ध्वनि प्रदूषण :- पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग हरियाणा पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में ध्वनि नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनिमय बनाने वाला प्राधिकारी होगा ।

(छ) बहिस्रावों का निर्वहन :- पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के भीतर किसी जल निकाय में कोई अनुपचारित या औद्योगिक बहिस्राव निर्गमन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और उपचारित बहिस्राव जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों को पूरा करेंगे ।

(ज) ठोस अपशिष्ट :-

(i) ठोस अपशिष्ट के व्ययन का क्रियान्वयन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा और स्थानीय प्राधिकारी जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथकन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ।

(ii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा और अकार्बनिक सामग्री का व्ययन किसी पर्यावरणीय रवीकृत रीति में पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के बाहर चिन्हित किए गए स्थल पर किया जाएगा तथा ठोस अपशिष्टों का जलाना या भस्मीकरण पारिस्थतिकीय संवेदनशील जोन में अनुज्ञात किया जाएगा ।

4. मानीटरी समिति-

(1) केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का अनुपालन को मानीटर करने के लिए मानीटरी समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन करती है ।

(2) मानीटरी समिति दस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी और मानीटरी समिति का अध्यक्ष ऐसा विख्यात व्यक्ति होगा जिसको सिद्ध प्रबंधकीय या प्रशासनिक अनुभव और स्थानीय मुद्दों की समझ हो तथा अन्य सदस्य निम्नलिखित होंगे :--

I. उप वन पालक (प्रादेशिक), यमुनानगर, सदस्य-सचिव ;

II. भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ;

III. पर्यावरण (धरोहर संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

IV. प्रादेशिक अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यमुनानगर ;

V. क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार ;

(3) मानीटरी समिति की शक्तियां और कृत्य केवल इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन तक निर्बंधित होंगे ।

(4) ऐसे क्रियाकलापों की दशा में, जिनमें पूर्व अनुमति या पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित है, ऐसे क्रियाकलाप राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए) को निर्दिष्ट किए जाएंगे जो पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना तारीख 14 सितंबर, 2007 के उपबंधों के अनुसार ऐसी अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा ।

(5) मानीटरी समिति, मुद्दा दर मुद्दा आधार की अपेक्षाओं पर आश्रित रहते हुए उसके निष्कर्षों में सहायता करने के लिए संबद्ध विभागों या संगमों से प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव इस अधिसूचना के उपबंधों के अननुपालन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(7) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष पर्यावरण और वन मंत्रालय को 31 मार्च तक अपनी वार्षिक की गई कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय समय-समय पर मानीटरी समिति के कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए अपने निदेश देगा ।

[फा. सं. 30/1/2008-ईएसजेड]
डॉ. जी. वी. सुब्रह्मण्यम, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध क

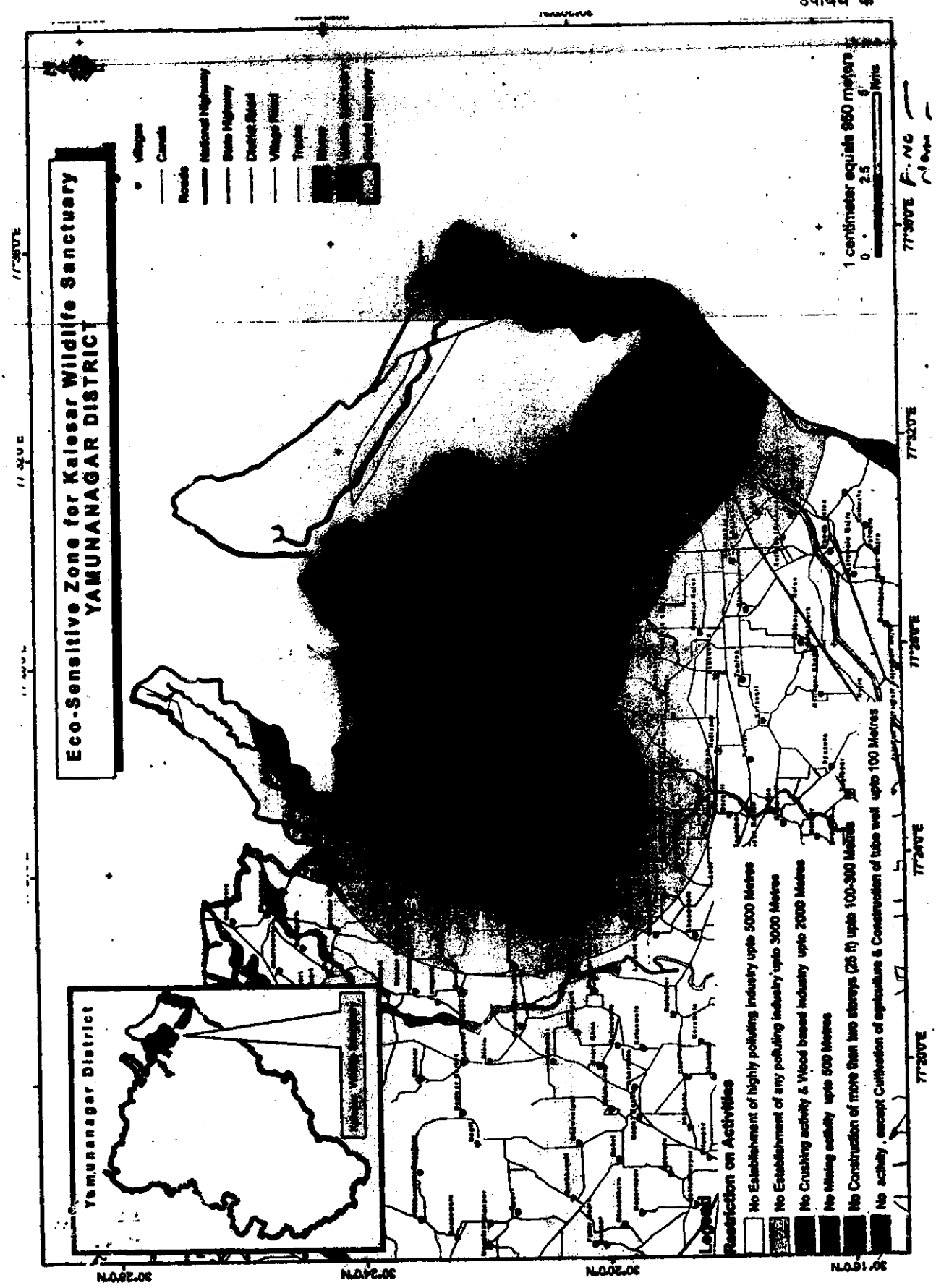

2089GI/09—2A

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2009

S.O. 1393(E).—WHEREAS, the Kalesar Wildlife Sanctuary is located on the junction of the four states viz. Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Uttrakhand and Haryana, it falls in Shiwalik foot hills, it shares boundaries with two protected areas of two different states namely the Simbalbarha Wildlife sanctuary of Himachal Pradesh towards the North and Rajaji National Park of Uttrakhand towards the East and the entire area is very rich in plant and animal species and have historical, economic and medicinal significance.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area upto five kilometers from the boundary of the protected area of Kalesar Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view;

AND WHEREAS, the Central Government proposes to notify the area up to five kilometers from the boundary of the protected area of Kalesar Wildlife Sanctuary enclosed within the boundary described below in the State of Haryana as 'Eco Sensitive Zone' (hereinafter called as the Eco Sensitive Zone) in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and for that purpose hereby publish this notification as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may do so in writing for consideration of the Central Government within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110003, or electronically at e-mail address: envisect@nic.in.

DRAFT PROPOSALS

1. Boundaries of Eco-sensitive Zone:–

(1) The said Eco-sensitive Zone is the area upto five kilometers from the boundary of the protected area of Kalesar Wildlife Sanctuary situated in the Yamunanagar District of Haryana between 30° 16' 00" to 30° 28' 00" North latitude and between 77° 20' 00" to 77° 37' 00" East longitude.

(2) The map of the Eco-sensitive Zone is at Annexure-A and the list of the villages falling within five kilometers distance of the boundary of Kalesar Wildlife Sanctuary in the Eco-sensitive Zone are as follows:

Salempur, Bahadurpur, Gohrabani, Rajpur, Rampur Jat, Chholi, Chabutaron, Katarwali, Pirthipur, Jogiwala, Manakpur, Arjan Majra, Laiha, Lalhari Khurad, Manipur, Dadupur Jatan,

Ghisarpari, Leda Khadir, Kotra Kahansingh, Hafizpur, Muhabaliwala, Tibbi, Tohn, Balohalp, Bakarwala, Bhangera, Bhangeri, Mujafat Khurd, Khizrabad, Satiyon Karalao, Bahadarpur, Kotipur (Kishanpur), Dekriwala, Nainawala, Sapoti, Barinagli, Nagla, Muhajuddinpur, Jatipur, Haiderpur, Taharpur Kalan, Bansantaur, Shahabuddinpur Khurd, Majara, Bachchan, Muquribpur, Kot Mushiarka, Dhakwala. Daultpur, Ahmadpur, Kot Sarkari. Bahrampur, Darpur, Jatanwala, Sipianwala, Chimborpur, Shahzadwala, Baniawala, Nathanpur, Mogiawala, Khilanwala, Bagpat, Khizri, Nagal Patti, Milk, Chandpur, Bamubewala, Tajewala, Kayanwala, Jhandu Gad, Tibriyon, Ambwala, Faizpur, Kalesar, Mohammaduwas, Garhi, Chikan, Kansli, Gutrian Chikan.

(3) All activities in the Kalesar National Park are being governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972).

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone -

(i) A Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government within a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette and submitted for approval to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, Government of India.

(ii) The Zonal Master Plan shall be prepared with due involvement of all concerned State Departments, such as Environment, Forest, Urban Development, Tourism, Municipal and Revenue Department and the Haryana State Pollution Control Board for integrating environmental and ecological considerations into it and shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(iii) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing village settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and change of land use from green uses such as orchards, horticulture areas, agriculture parks and others like places to non green uses shall be permitted in the Zonal Master Plan, except that strictly limited conversion of agricultural lands maybe permitted to meet the residential needs of the existing local residents together with natural growth of the existing local populations, without the prior approval of the State Government.

(iv) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the State Level Monitoring Committee for any decision to be taken by them including consideration for relaxation.

(v) The Zonal Master Plan shall indicate measures and lay down stipulations for regulation of traffic.

(vi) Pending the preparation of the Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone and approval thereof by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, all new constructions shall be allowed only after the proposals are scrutinized and approved by the Monitoring Committee as referred to in paragraph 4 and there shall be no consequential reduction in Forest, Green and Agricultural area.

(vii) The State Government shall prescribe additional measures, if necessaty, in furtherance of the objectives and for giving effect to the provisions of this notification.

3. Regulated or restrictive activities in the Eco-sensitive Zone-

(a) Industrial Units:-

(I) No new wood based industry shall be set up within two kilometers from the boundary of the Kalesar Wildlife Sanctuary.

(II) No new polluting industry shall be set up within three kilometers from the boundary of the Kalesar Wildlife Sanctuary.

(III) No new highly polluting industry shall be set up within five kilometers from the boundary of the Kalesar Wildlife Sanctuary.

(b) Construction Activities:-

(I) From the boundary of Kalesar Wildlife Sanctuary upto a distance of one hundred meters, no construction of any kind shall be allowed except tube well chamber of dimension not more than one thousand cubic inches.

(II) In the area falling between one hundred meters to three hundred meters from the boundary of Kalesar Wildlife Sanctuary, construction of any building more than two storeys (twenty five feet) shall not be allowed.

(c) Quarrying and Mining:-

(I) Mining up to one kilometer shall not be allowed from the boundary of the protected area of Kalesar Wildlife Sanctuary.

(II) Crushing activity upto two kilometers shall not be allowed from the boundary of the protected area of Kalesar Wildlife Sanctuary.

(d) Trees:- Felling of trees on forest and revenue land shall be subject to the approved management plan by the Government or an authority nominated for that purpose.

(e) Water:-

(i) Extraction of ground water shall be permitted only for the bona-fide agricultural and domestic consumption and sale of ground water shall be permitted except with the prior approval of the State Ground Water Board.

(ii) All steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water including from agriculture.

(f) Noise pollution:- The Environment Department or the State Forest Department, Haryana shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of noise in the Eco-sensitive Zone.

(g) Discharge of effluents:- No untreated or industrial effluent shall be permitted to be discharged into any water body within the Eco-sensitive Zone and treated effluent shall meet the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

(h) Solid Wastes:- (i) The solid waste disposal shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 and the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components.

(ii) The biodegradable material may be recycled preferably through composting or vermiculture and the inorganic material may be disposed of in an environmentally acceptable manner at a site identified outside the Eco-sensitive Zone and burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

4. Monitoring Committee -

(1) Under the provisions of sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a committee to be called the Monitoring Committee to monitor the compliance with the provisions of this notification.

(2) The Monitoring Committee shall consist of not more than ten members and the Chairman of the Monitoring Committee shall be an eminent person with proven managerial or administrative experience and understanding of local issues and the other members shall be:-

I. Deputy Conservator of Forests (Territorial), Yamunanagar as Member Secretary;
II. a representative of the Ministry of Environment and Forests, Government of India;
III. one representative of Non-Governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of India;
IV. Regional Officer, Haryana State Pollution Control Board, Yamunanagar;
V. senior Town Planner of the area;

(3) The powers and functions of the Monitoring Committee shall be restricted to the compliance of the provisions of this notification only.

(4) In case of activities requiring prior permission or environmental clearance, such activities shall be referred to the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), which shall be the Competent Authority for grant of such clearances as per the provisions of the Environmental Impact Assessment Notification, dated the 14th September 2007.

(5 The Monitoring Committee may also invite representatives or experts from concerned Departments or Associations to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Chairman or Member Secretary of Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 for non-compliance of the provisions of this notification.

(7) The Monitoring Committee shall submit its annual action taken reports by the 31st March of every year to the Ministry of Environment and Forests and the Central Government in the Ministry of Environment and Forests shall give its directions to the Monitoring Committee from time to time for effective discharge of the functions of the Monitoring Committee.

[F. No. 30/1/2008-ESZ]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

ANNEXURE A

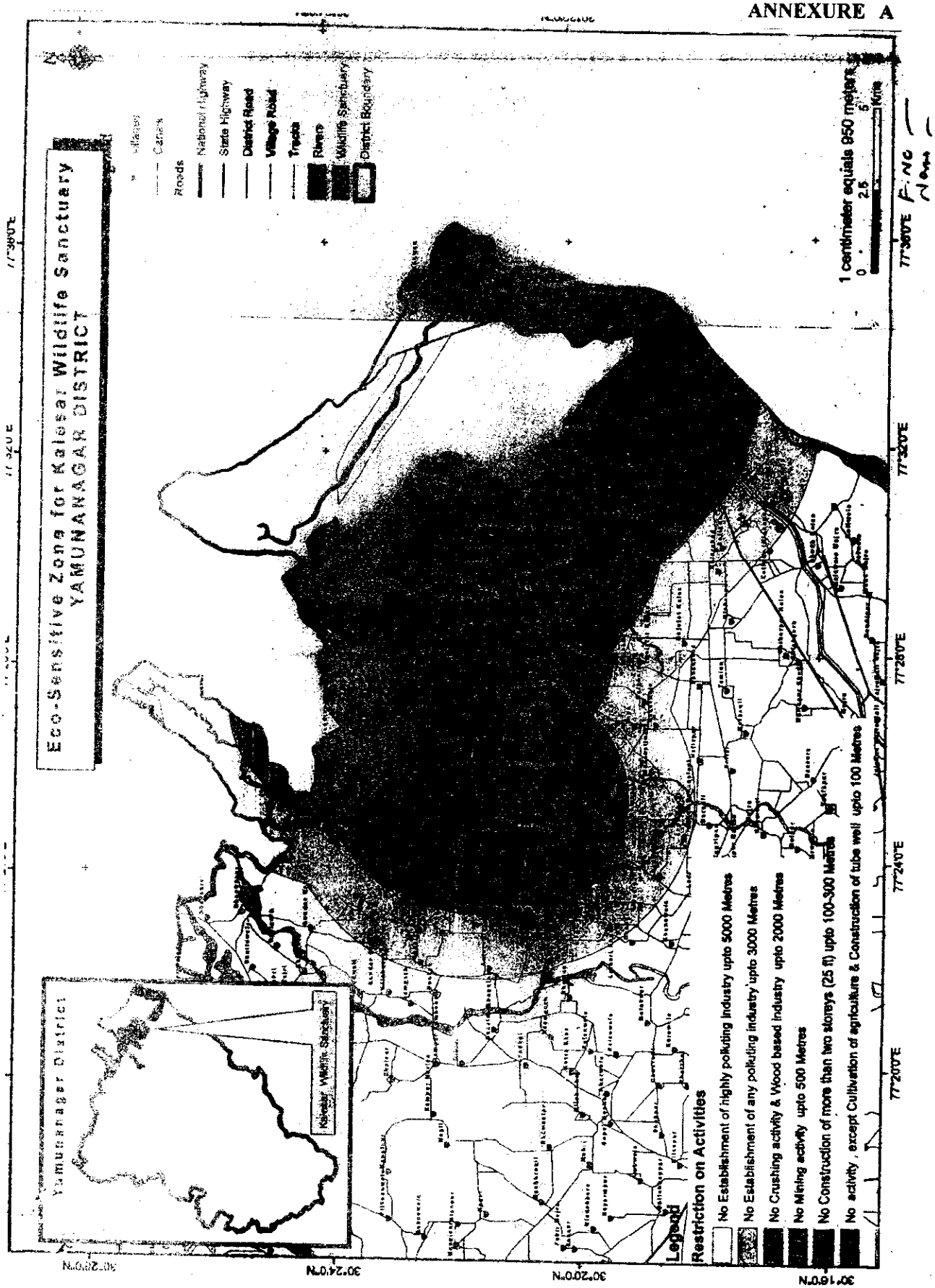

Eco-Sensitive Zone for Kalesar Wildlife Sanctuary
YAMUNANAGAR DISTRICT
Roads
National Highway
State Highway
District Road
Village Road
Tracks
Rivers
Wildlife Sanctuary
District Boundary
1 centimeter equals 950 meters
0 2.5 5 Kms
Yamunanagar District
Kalesar Wildlife Sanctuary
Legend
Restriction on Activities
No Establishment of highly polluting industry upto 5000 Metres
No Establishment of any polluting industry upto 3000 Metres
No Crushing activity & Wood based industry upto 2000 Metres
No Mining activity upto 500 Metres
No Construction of more than two storeys (25 ft) upto 100-300 Metres
No activity, except Cultivation of agriculture & Construction of tube well upto 100 Metres
77°20'0"E
77°24'0"E
77°28'0"E
77°32'0"E
77°36'0"E
30°16'0"N
30°20'0"N
30°24'0"N
30°28'0"N

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2009

का.आ. 1394(अ).— खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण शिवालिक पहाड़ी श्रृंखला पर अवस्थित है जो, बीर शिकारगाह वन्यजीव अभ्यारण के बहुत निकट है और दोनों के बीच हवाई दूरी लगभग तीन किलोमीटर है खोल ही रैतान में खड़ी, ढलवा पहाड़ियां है और इस अभ्यारण की मिट्टी भी बालुई है तथा अत्यधिक लौह मात्रा के कारण लाल रंग की है ;

और खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण महत्वपूर्ण स्थान है और अपने जीव जन्तुओं के कारण जाना जाता है, तेंदुआ, सर्वोच्च क्रम में है, अन्य पशु चीतल या चित्तीदार मृग, सांभर, जंगली सूअर, लघु पुच्छ वानर, लंगूर, लकड़बग्धा, जंगली बिल्ली, सामान्य नेवला, भारतीय लोमड़ी, सियार, साही, आदि हैं ;

और खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र का पारिस्थितकीय और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के रूप में सुरक्षा और संरक्षण करने की आवश्यकता है ;

और केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य में नीचे वर्णित सीमा के भीतर संलग्न खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र को 'पर्यावरणीय संवेदनशील जोन' (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरणीय संवेदनशील जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव करती है और इस प्रयोजन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन अपेक्षानुसार इस अधिसूचना को उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जन साधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को डाक द्वारा लिखित में या इलेक्ट्रानिक रूप से ई-मेल पता: envisect@nic.in पर सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए ऐसा कर सकेगा ।

प्रारूप प्रस्ताव

1. **पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन - (i)** उक्त पारिस्थितिकीय संवदेनशील जोन खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक का क्षेत्र है, जो हरियाणा के पंचकुला जिले में 30° 40' 00" से 29° 32' 00" उत्तरी अक्षांश और 76° 53' 00" से 77° 01' 00" पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है ।

(ii) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन का मानचित्र उपाबंध -क पर है और पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण की सीमा के पांच किलोमीटर के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची निम्नानुसार है :

मनकरूला, झंजरुला, मुहम्मदपुर पटली, धनावास, वजीरपुर धनी, रामनगर, सिक्खवाला, घरीहरासरु, तुगलकपुर, दया बिहार, कलिवास, इकबालपुर, सैदपुर, खंतावास, हमारपुर, बंडु, ओमनगर, बिन्चेरा, सुलतानपुर, हरसिंहवाली, धानी, गिर्वीवाली धानी, सहाराना बरमीपुर ।

(iii) खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण के सभी क्रियाकलाप वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों द्वारा शासित किए जा रहे हैं ।

2. **पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर-**

(i) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर तैयार किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(ii) जोनल मास्टर प्लान सभी संबद्ध राज्य विभागों जैसे पर्यावरण, वन, शहरी विकास, पर्यटन, नगरपालिका और राजस्व विभाग तथा इसके पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारों को समन्वित करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सम्यक् रूप से सम्मिलित करके तैयार किया जाएगा तथा निरावृत्त क्षेत्रों के पुनर्स्थापन, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलागम क्षेत्रों के प्रबंध, जल भरण प्रबंध, भूमिगत जल प्रबंध, मृदा और आद्रता संरक्षण, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं के लिए उपबंध किया जाएगा, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

(iii) जोनल मास्टर प्लान सभी विद्यमान ग्राम स्थापनों, वनों के प्रकार और किस्म, कृषि क्षेत्र, उर्वरक भूमि, हरित क्षेत्र, बागवानी क्षेत्र, बागानों, झीलों और अन्य जल निकायों का सीमांकन करेगा और हरित उपयोग से भूमि के उपयोग में जैसे बागान, बागवानी क्षेत्र, कृषि उद्यान और ऐसे ही अन्य स्थानों को गैर हरित उपयोग के लिए परिवर्तित करना तब के सिवाय जोनल मास्टर प्लान में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब कृषि भूमियों का बिल्कुल सीमित संपरिवर्तन विद्यमान स्थानीय जनसंख्या के प्राकृतिक विकास के साथ विद्यमान स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो ।

(iv) जोनल मास्टर प्लान राज्य स्तरीय मानीटरी समिति के लिए उनके द्वारा लिए जाने वाले किसी विनिश्चय हेतु जिसके अंतर्गत शिथिल करने के लिए विचार किया जाना भी है, एक संदर्भ दस्तावेज होगा ।

(v) जोनल मास्टर प्लान, यातायात के विनियमन के लिए उपाय उपदर्शित करेगा और अनुबंधों को अधिकथित करेगा ।

(vi) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान की तैयारी के लंबित रहने और केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उसका अनुमोदन सभी नए संनिर्माण प्रस्तावों की संवीक्षा किए जाने और पैरा चार में यथानिर्दिष्ट मानीटरी समिति द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात् ही अनुज्ञात किया जाएगा और वन, हरित और कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कमी नहीं होगी ।

(vii) राज्य सरकार उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि आवश्यक हों, विहित करेगी ।

3. पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में निम्नलिखित क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे- अर्थात् –

(क) संनिर्माण क्रियाकलाप :-

खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से पचास मीटर की दूरी तक एक हजार घन इंच से अनधिक की विमाओं के नलकूप चैंबर के सिवाय, किसी प्रकार का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) वृक्ष :- वन और राजस्व भूमि पर वृक्षों की कटाई सरकार या उस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रबंध योजना के अधीन रहते हुए की जाएगी ।

(ग) जल :-

(i) भूमिगत जल का निष्कर्षण केवल सद्भावपूर्वक कृषि और घरेलू खपत के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और राज्य भूमिगत जल बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, भू-जल का विक्रय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ii) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि से संदूषण और प्रदूषण भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।

(घ) ध्वनि प्रदूषण :- पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग हरियाणा पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में ध्वनि नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनिमय बनाने वाला प्राधिकारी होगा ।

(ङ) बहिस्रावों का निर्वहन :- पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के भीतर किसी जल निकाय में कोई अनुपचारित या औद्योगिक बहिस्राव निर्गमन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और उपचारित बहिस्राव जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों को पूरा करेंगे ।

(च) ठोस अपशिष्ट :--

(i) ठोस अपशिष्ट के व्ययन का क्रियान्वयन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा और स्थानीय प्राधिकारी जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथकन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ।

(ii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा और अकार्बनिक सामग्री का व्ययन किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के बाहर चिन्हित किए गए स्थल पर किया जाएगा तथा ठोस अपशिष्टों का जलाना या भस्मीकरण पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में अनुज्ञात किया जाएगा ।

4. मानीटरी समिति-

(1) केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का अनुपालन को मानीटर करने के लिए मानीटरी समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन करती है ।

(2) मानीटरी समिति दस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी और मानीटरी समिति का अध्यक्ष ऐसा विख्यात व्यक्ति होगा जिसको सिद्ध प्रबंधकीय या प्रशासनिक अनुभव और स्थानीय मुद्दों की समझ हो तथा अन्य सदस्य निम्नलिखित होंगे :--

I. उप वन पालक (वन्यजीव), पंचकुला, सदस्य-सचिव ;

II. भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ; सदस्य

III. पर्यावरण (धरोहर संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ; सदस्य

IV. प्रादेशिक अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पंचकुला ; सदस्य

V. क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार ; सदस्य

(3) मानीटरी समिति की शक्तियां और कृत्य केवल इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन तक निर्बंधित होंगे ।

(4) ऐसे क्रियाकलापों की दशा में, जिनमें पूर्व अनुमति या पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित है, ऐसे क्रियाकलाप राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए) को निर्दिष्ट किए जाएंगे जो पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना तारीख 14 सितंबर, 2007 के उपबंधों के अनुसार ऐसी अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा ।

(5) मानीटरी समिति, मुद्रा दर मुद्रा आधार की अपेक्षाओं पर आश्रित रहते हुए उसके निष्कर्षों में सहायता करने के लिए संबद्ध विभागों या संगमों से प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव इस अधिसूचना के उपबंधों के अननुपालन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(7) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष पर्यावरण और वन मंत्रालय को 31 मार्च तक अपनी वार्षिक की गई कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय समय-समय पर मानीटरी समिति के कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए अपने निदेश देगा ।

[फा. सं. 30/1/2008-ईएसजेड]
डॉ. जी. वी. सुब्रह्मन्यम, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध क

Eco-Sensitive Zone for Morni Sanctuary, PANCHKULA DISTRICT
Panchkula District
Morni Wildlife Sanctuary
Legend
Villages
Roads
National Highway
State Highway
District Road
Village Road
Tracks
Rivers
Morni Wildlife Sanctuary
District Boundary
Restriction on Activities
No activity except Cultivation of agriculture & Construction of tube well upto 50 Metres
77°0'0"E
76°58'0"E
76°54'0"E
30°44'0"N
30°42'0"N

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2009

S.O. 1394(E).—WHEREAS, the Khol Hi Raitan Wildlife Sanctuary is located in Shiwalik hill system which is very near to Bir Shikargah Wildlife Sanctuary and the aerial distance between the two is about three kilometres. Khol Hai Raitan has steep sloping hills and the soil of this Sanctuary is also sandy loam and has red color because of more iron content;

AND WHEREAS, Khol Hi Raitan Wildlife Sancturary is important and known for its fauna, leopard is on the top of hierarchy, other animals are Cheetal or Spotted Deer, Sambar, Wild Boar, Rhesus Monkey, Langoor, Hyaena, Jungle Cat, Common Mangoose, Indian Fox, Jackal, Porcupine, etc.;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area upto five kilometers from the boundary of the protected area of Khol Hi Raitan Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view;

AND WHEREAS, the Central Government proposes to notify the area up to five kilometers from the boundary of the protected area of Khol Hi Raitan Wildlife Sanctuary enclosed within the boundary described below in the State of Haryana as 'Eco Sensitive Zone' (hereinafter called as the Eco Sensitive Zone) in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and for that purpose hereby publish this notification as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may do so in writing for consideration of the Central Government within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110003, or electronically at e-mail address: envisect@nic.in.

1. Boundaries of Eco-sensitive Zone:-

(i) The said Eco-sensitive Zone is the area upto five kilometers from the boundary of the protected area of Khol Hi Raitan Wildlife Sanctuary situated in the Panchkula District of Haryana between 30^0 40 00" to 29^0 32' 00" North latitude and between 76^0 53' 00" to 77^0 01' 00" East longitude.

(ii) The map of the Eco-sensitive Zone is at Annexure-A and the list of the villages falling within five kilometers distance of the boundary of Khol Hi Raitan Wildlife Sanctuary in the Eco-sensitive Zone is as follows:

Mankraula, Jhanjraula, Mohammadpur, Patli, Dhanawas, Wazirpr, Dhani, Ramnagar. Sikhawala, Ghari Harasru, Tughlakpur, Daya Bihar, Kaliawas, Iqbalpur, Saidpur, Khaintawas, Hamarpur, Chandu, Omnagar, Bidhera, Sultanpur, Harsinghwali, Dhani Mirchiwali Dhani, Sadhrana Barmripur.

(iii) All activities in the Khol Hi Raitan Wildlife Sanctuary are being governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972).

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone -

(i) A Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government within a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette and submitted for approval to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, Government of India.

(ii) The Zonal Master Plan shall be prepared with due involvement of all concerned State Departments, such as Environment, Forest, Urban Development, Tourism, Municipal and Revenue Department and the Haryana State Pollution Control Board for integrating environmental and ecological considerations into it and shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(iii) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing village settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and change of land use from green uses such as orchards, horticulture areas, agriculture parks and others like places to non green uses shall be permitted in the Zonal Master Plan, except that strictly limited conversion of agricultural lands maybe permitted to meet the residential needs of the existing local residents together with natural growth of the existing local populations, without the prior approval of the State Government.

(iv) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the State Level Monitoring Committee for any decision to be taken by them including consideration for relaxation.

(v) The Zonal Master Plan shall indicate measures and lay down stipulations for regulation of traffic.

(vi) Pending the preparation of the Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone and approval thereof by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, all new constructions shall be allowed only after the proposals are scrutinized and approved by the Monitoring Committee as referred to in paragraph 4 and there shall be no consequential reduction in Forest, Green and Agricultural area.

(vii) The State Government shall prescribe additional measures, if necessary, in furtherance of the objectives and for giving effect to the provisions of this notification.

3. The following activities are to be regulated in the Eco-sensitive Zone, namely:-

(a) Construction Activities:- From the boundary of Khol Hi Raitan Wildlife Sanctuary to a distance of fifty meters, no new construction of any kind shall be allowed except tube well chamber of dimension not more than one thousand cubic inches.

(b) Trees:- Felling of trees on forest and revenue land shall be subject to the approved management plan by the Government or an authority nominated for that purpose.

(c) Water:-

(i) Extraction of ground water shall be permitted only for the bona-fide agricultural and domestic consumption and sale of ground water shall be permitted except with the prior approval of the State Ground Water Board.
(ii) All steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water including from agriculture.

(d) Noise pollution:- The Environment Department or the State Forest Department, Haryana shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of noise in the Eco-sensitive Zone.

(e) Discharge of effluents:- No untreated or industrial effluent shall be permitted to be discharged into any water body within the Eco-sensitive Zone and treated effluent shall meet the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

(f) Solid Wastes:-
(i) The solid waste disposal shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 and the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components.
(ii) The biodegradable material may be recycled preferably through composting or vermiculture and the inorganic material may be disposed of in an environmentally acceptable manner at a site identified outside the Eco-sensitive Zone and burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

4. Monitoring Committee:-

(1) Under the provisions of sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a committee to be called the Monitoring Committee to monitor the compliance with the provisions of this notification.
(2) The Monitoring Committee shall consist of not more than ten members and the Chairman of the Monitoring Committee shall be an eminent person with proven managerial or administrative experience and understanding of local issues and the other members shall be:-

(I) Deputy Conservator of Forests (Wild Life), Panchkula as the Member Secretary;

(II) A representative of the Ministry of Environment and Forests, Government of India; Member

(III) one representative of Non-Governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of India; Member

(IV) Regional Officer, Haryana State Pollution Control Board, Panchkula; Member

(V) senior Town Planner of the area; Member

(3) The powers and functions of the Monitoring Committee shall be restricted to the compliance of the provisions of this notification only.

(4) In case of activities requiring prior permission or environmental clearance, such activities shall be referred to the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), which shall be the Competent Authority for grant of such clearances as per the provisions of the Environmental Impact Assessment Notification, dated the 14th September 2007.

(5) The Monitoring Committee may also invite representatives or experts from concerned Departments or Associations to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Chairman or Member Secretary of Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 for non-compliance of the provisions of this notification.

(7). The Monitoring Committee shall submit its annual action taken reports by the 31st March of every year to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests and the Central Government in the Ministry of Environment and Forests shall give directions to the Monitoring Committee from time to time for effective discharge of the functions of the Monitoring Committee.

[F. No. 30/1/2008-ESZ]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

ANNEXURE A

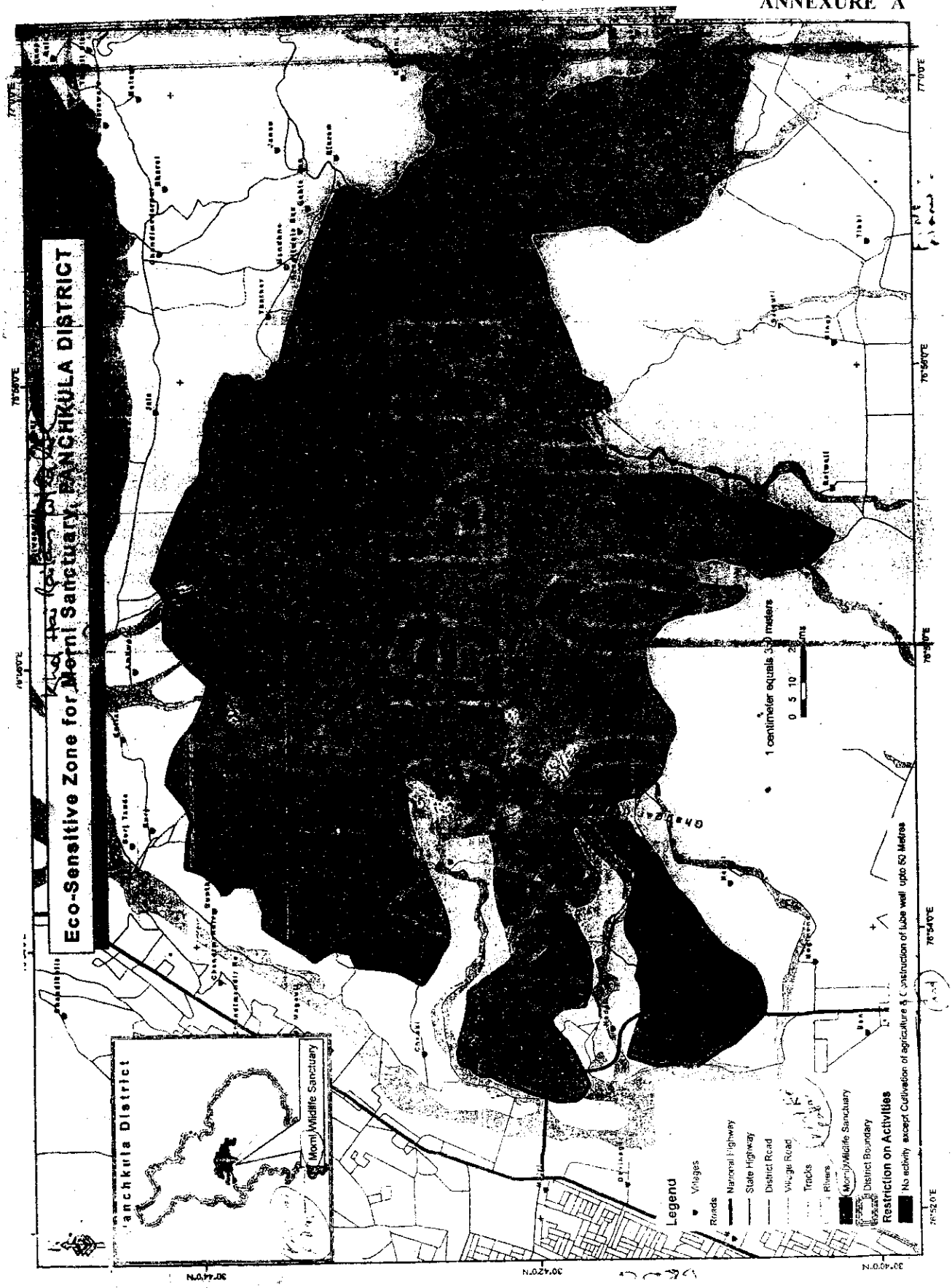

2089GI/09—3A

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2009

का.आ. 1395(अ).—**बीर शिकारगाह** वन्य जीव अभ्यारण शिवालिक पहाड़ी श्रृंखला के भीतर आता है और मध्य समुद्र तल से ऊपर लगभग 400 मीटर के अक्षांश पर अवस्थित है तथा घग्गर नदी जलागमों का ऐसा भाग है जो वन क्षेत्रों और कतिपय ग्राम से घिरा हुआ है निकटवर्ती हिमाचल क्षेत्र में उद्गमित कौशल्या नामक एक मौसमी नदी अभ्यारण के बीच से होकर गुजरती है जो वर्षा ऋतु के पश्चात् सूख जाती है और इस अभ्यारण का संपूर्ण क्षेत्र, संगुटिका, चिकनी मिट्टी, बाढ़ वाली मिट्टी के ढेर की विशिष्टता वाले सिल्ट का बना हुआ है ;

और बीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण में घना जंगल है और खैर इस क्षेत्र की मुख्य प्रजातियों के रूप में है और यद्यपि इस अभ्यारण का बड़ा भाग प्राकृतिक वन है, किन्तु कई स्थानों पर युक्लिपेटस और सागौर जैसा प्रजाति वर्ग के मानव द्वारा लगाए गए पौधे हैं तथा जीव जन्तुओं के अतिरिक्त तेंदुआ सर्वोच्च क्रम में है । अन्य पशु चीतल या चित्तीदार मृग, सांभर, जंगली सूअर, लघु पुच्छवानर, लंगूर, लकड़बग्घा, जंगली बिल्ली, सामान्य नेवला, भारतीय लोमड़ी, सियार, साही आदि हैं ;

और बीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र का पारिस्थितकीय और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के रूप में सुरक्षा और संरक्षण करने की आवश्यकता है ;

और केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य में नीचे वर्णित सीमा के भीतर संलग्न बीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र को 'पर्यावरणीय संवेदनशील जोन' (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरणीय संवेदनशील जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव करती है और इस प्रयोजन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन अपेक्षानुसार इस अधिसूचना को उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जन साधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को डाक द्वारा लिखित में या इलेक्ट्रानिक रूप से ई-मेल पता: envisect@nic.in पर सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए ऐसा कर सकेगा ।

प्रारूप प्रस्ताव

1. **पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन** - (i) उक्त पारिस्थितिकीय संवदेनशील जोन बीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक का क्षेत्र है, जो हरियाणा के पंचकुला जिले में 30° 42' 00" से 30° 50' 00" उत्तरी अक्षांश और 76° 52' 00" से 77° 03' 00" पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है ।

(ii) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन का मानचित्र उपाबंध -क पर है और पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में बीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण की सीमा के पांच किलोमीटर के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची निम्नानुसार है :

तापरा, मरून की सेर, पिंजोर, नालग, कहंगुवाला, सियोरी, रामसर, बटिनान, छटीवाला, धरमपुर, अब्दुल्लापुर, रातपुर, पिंजोर, फिरोजपुर, नानकपुर, देवीलाल, मुगल गार्डन, सूरजपुर, राजीपुर झजरा, रामपुर, कोटला, भगवानपुर, तोरन, टाडां, बुर्जटांडा, बुर्ज, मनधना, पंडितवाला बास, गबलाबास, जनसु, जरवरी, सिसराम, भुंड, दंगराना, बटेरा, भालग, थापली, बल्कु, कदायानी, बरून, दखरोग, बाधमी, इस्लाम नगर, रायपुर, अम्बाला, थटेर, भराल, मटूर थपली सिक्ख, बलु, जौनपुर, गवाही, खोल, भवाना, भोगपुर, इशामागढ़, नगल, पट्टन, इस्लाम नगर चिकन, जला, चंडी मन्दरपुर, नरावल, किदारपुर, धमसु, धयारी, तोरन, भहोरियान, जट्टनवाला, तिब्बील, हरिपुर चफेर खरकुआ, डेरा, दिवानवाला, हरिपुर, अमका, दिवानवाला, जोगीवाला, मल्ला, जबरोट, कजीआना, दथाग्राम, जोधपुर, नंदपुर, भेरगटी, टिब्बे, नालाबलोग, नालाधमेर ।

(iii) बीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण के सभी क्रियाकलाप वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों द्वारा शासित किए जा रहे हैं ।

2. **पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर**-

(i) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर तैयार किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(ii) जोनल मास्टर प्लान सभी संबद्ध राज्य विभागों जैसे पर्यावरण, वन, शहरी विकास, पर्यटन, नगरपालिका और राजस्व विभाग तथा इसके पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारों को समन्वित करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सम्यक् रूप से सम्मिलित करके तैयार किया जाएगा तथा निरावृत्त क्षेत्रों के पुनर्स्थापन, विद्यमान

स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं के लिए उपबंध किया जाएगा, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

(iii) जोनल मास्टर प्लान सभी विद्यमान ग्राम स्थापनों, वनों के प्रकार और किस्म, कृषि क्षेत्र, उर्वरक भूमि, हरित क्षेत्र, बागवानी क्षेत्र, बागानों, झीलों और अन्य जल निकायों का सीमांकन करेगा और हरित उपयोग से भूमि के उपयोग में जैसे बागान, बागवानी क्षेत्र, कृषि उद्यान और ऐसे ही अन्य स्थानों को गैर हरित उपयोग के लिए परिवर्तित करना तब के सिवाय जोनल मास्टर प्लान में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुज्ञात नही किया जाएगा जब कृषि भूमियों का बिल्कुल सीमित संपरिवर्तन विद्यमान स्थानीय जनसंख्या के प्राकृतिक विकास के साथ विद्यमान स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो ।

(iv) जोनल मास्टर प्लान राज्य स्तरीय मानीटरी समिति के लिए उनके द्वारा लिए जाने वाले किसी विनिश्चय हेतु जिसके अंतर्गत शिथिल करने के लिए विचार किया जाना भी है, एक संदर्भ दस्तावेज होगा ।

(v) जोनल मास्टर प्लान, यातायात के विनियमन के लिए उपाय उपदर्शित करेगा और अनुबंधों को अधिकथित करेगा ।

(vi) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान की तैयारी के लंबित रहने और केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उसका अनुमोदन सभी नए संनिर्माण प्रस्तावों की संवीक्षा किए जाने और पैरा चार में यथानिर्दिष्ट मानीटरी समिति द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात् ही अनुज्ञात किया जाएगा और वन, हरित और कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कमी नहीं होगी ।

(vii) राज्य सरकार उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि आवश्यक हों, विहित करेगी ।

3. पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में विनियमित या निर्बंधित क्रियाकलाप-

(क) औद्योगिक इकाइयां :-

(I) बीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से दो किलोमीटर के भीतर किसी नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

(II) बीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से तीन किलोमीटर के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

(III) बीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से पांच किलोमीटर के भीतर किसी नए उच्च प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

(ख) संनिर्माण क्रियाकलाप :-

(I) बीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से सौ मीटर की दूरी तक एक हजार घन इंच से अनधिक की विमाओं के नलकूप चैंबर के सिवाय, किसी प्रकार का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(II) बीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से सौ मीटर से सौ मीटर के बीच आने वाले क्षेत्र में दो मंजिला (पच्चीस फीट) से अधिक किसी भवन का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ग) उत्खनन और खनन :-

(I) बीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक खनन कार्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(II) बीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दो किलोमीटर तक संदलन कार्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(घ) वृक्ष :- वन और राजस्व भूमि पर वृक्षों की कटाई सरकार या उस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रबंध योजना के अधीन रहते हुए की जाएगी ।

(ङ) जल :-

(i) भूमिगत जल का निष्कर्षण केवल सद्भावपूर्वक कृषि और घरेलू खपत के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और राज्य भूमिगत जल बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, भू-जल का विक्रय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ii) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि से संदूषण और प्रदूषण भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।

(च) ध्वनि प्रदूषण :- पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग हरियाणा पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में ध्वनि नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनिमय बनाने वाला प्राधिकारी होगा ।

(छ) बहिस्रावों का निर्वहन :- पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के भीतर किसी जल निकाय में कोई अनुपचारित या औद्योगिक बहिस्राव निर्गमन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और उपचारित बहिस्राव जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों को पूरा करेंगे ।

(ज) ठोस अपशिष्ट :-

(i) ठोस अपशिष्ट के व्ययन का क्रियान्वयन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा और स्थानीय प्राधिकारी जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथकन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ।

(ii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा और अकार्बनिक सामग्री का व्ययन किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के बाहर चिन्हित किए गए स्थल पर किया जाएगा तथा ठोस अपशिष्टों का जलाना या भस्मीकरण पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में अनुज्ञात किया जाएगा ।

4. मानीटरी समिति-

(1) केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का अनुपालन को मानीटर करने के लिए मानीटरी समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन करती है ।

(2) मानीटरी समिति दस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी और मानीटरी समिति का अध्यक्ष ऐसा विख्यात व्यक्ति होगा जिसको सिद्ध प्रबंधकीय या प्रशासनिक अनुभव और ख्याति मुद्दों की समझ हो तथा अन्य सदस्य निम्नलिखित होंगे :—

I. उप वन पालक (वन्य जीव), पंचकुला, सदस्य-सचिव ;

II. भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि : सदस्य

III. पर्यावरण (धरोहर संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ; सदस्य

IV. प्रादेशिक अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पंचकुला ; सदस्य

V. क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार ; सदस्य

(3) मानीटरी समिति की शक्तियां और कृत्य केवल इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन तक निर्बंधित होंगे ।

(4) ऐसे क्रियाकलापों की दशा में, जिनमें पूर्व अनुमति या पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित है, ऐसे क्रियाकलाप राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए) को निर्दिष्ट किए जाएंगे जो पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना तारीख 14 सितंबर, 2007 के उपबंधों के अनुसार ऐसी अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा ।

(5) मानीटरी समिति, मुद्दा दर मुद्दा आधार की अपेक्षाओं पर आश्रित रहते हुए उसके निष्कर्षों में सहायता करने के लिए संबद्ध विभागों या संगमों से प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव इस अधिसूचना के उपबंधों के अननुपालन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(7) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष पर्यावरण और वन मंत्रालय को 31 मार्च तक अपनी वार्षिक की गई कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय समय-समय पर मानीटरी समिति के कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए अपने निदेश देगा ।

[फा. सं. 30/1/2008-ईएसजेड]
डॉ. जी. वी. सुब्रह्मन्यम, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध क

Eco-Sensitive Zone for Bir Shikargah
Wildlife Sanctuary, PANCHKULA DISTRICT
Restriction on Activities
No Establishment of highly polluting industry upto 5000 Metres
No Establishment of any polluting industry upto 3000 Metres
No Crushing activity & Wood based industry upto 2000 Metres
No Mining activity upto 1000 Metres
No Construction of more than two storeys (25 ft) upto 100-300 Metres
No activity except Cultivation of agriculture & Construction of tube well upto 100 Metres

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2009

S.O. 1395(E).—WHEREAS, the Bir Shikargarh Wildlife Sanctuary falls within Shivalik hill system and is located at an altitude of about 400 meter above mean sea level and is a part of Ghaggar river catchments which is surrounded by forest areas and a few villages. A seasonal river named Kaushalya originating in the adjoining Himachal area passes through the sanctuary which goes dry after the rainy season and the entire area of this sanctuary is made up of conglomerates, clay and silt having the characters of alluvial deposits;

AND WHEREAS, Bir Shikargarh Wildlife Sanctuary has thick forest and Khair as the dominant species of this area and although the larger part of the sanctuary is a natural forest, but at places man made plantations of species like Eucalyptus and Teak have also been grown and besides fauna, leopard is on the top of hierarchy, other animals are Cheetal or Spotted Deer, Sambar, Wild Boar, Rhesus Monkey, Langoor, Hyaena, Jungle Cat, Common Mangoose, Indian Fox, Jackal, Porcupine, etc.;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area upto five kilometers from the boundary of the protected area of Bir Shikargarh Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view;

AND WHEREAS, the Central Government proposes to notify the area up to five kilometers from the boundary of the protected area of Birshikargarh Wildlife Sanctuary enclosed within the boundary described below in the State of Haryana as 'Eco Sensitive Zone' (hereinafter called as the Eco Sensitive Zone) in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and for that purpose hereby publish this notification as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may do so in writing for consideration of the Central Government within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110003, or electronically at e-mail address: envisect@nic.in.

DRAFT PROPOSALS

1. Boundaries of Eco-sensitive Zone:–

(i) The said Eco-sensitive Zone is the area upto five kilometers from the boundary of the protected area of Bir Shikargarh Wildlife Sanctuary situated in the Panchkula District of

Haryana between 30° 42' 00" to 30° 50' 00" North latitude and between 76° 52' 00" to 77° 03' 00" East longitude.

(ii) The map of the Eco-sensitive Zone is at Annexure-A and the list of the villages falling within five kilometers distance of the boundary of Bir Shikargarh Wildlife Sanctuary in the Eco-sensitive Zone are as follows:

Tapra, Bharun Ki Ser, Pinjore, Nalag, Kahnguwala, Siyori, Ramsar, Batinan, Ghatiwala, Dharmpur, Abdullapur, Ratpur, Pinjore, Firozpur, Nanakpur, Devilal, Mughal Garden, Surajpur, Rajipur Jhajra, Rampur, Kotla, Bhagwanpur, Toran, Tanda, Burj Tanda, Burj, Mandhana, Panditwala Bas, Gabla Bas, Jansu, Jakhri, Sisram, Bhund, Dangrana, Batera, Bhalag, Thapli Balku, Kadyani, Brun, Dakhrog, Baghami, Islamnagar, Raipur, Ambwala, Thather, Bharal, Mataur, Thapli Sikh, Balu, Jaunpur, Gawahi, Khol, Bhawana, Bhogpur, Ishamagar, Nagal, Pattan, Islamnagar, Chikan, Jala, Chandimandarpur, Narawal, Kidarpur, Dhamsu, Dhayari, Toran, Bahoriyan, Jattanwala Tibbil, Haripurchapher, Kharkua, Dera, Diwanwala, Haripur, Amka, Diwanwala, Jogiwala, Malla, Jabrot, Kajiana, Dathagram, Jodhpur, Nandpur, Bergati, Tibbe, Nalabalog, Naladhamer.

(iii) All activities in the Bir Shikargarh Wildlife Sanctuary are being governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972).

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone:-

(i) A Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government within a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette and submitted for approval to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, Government of India.

(ii) The Zonal Master Plan shall be prepared with due involvement of all concerned State Departments, such as Environment, Forest, Urban Development, Tourism, Municipal and Revenue Department and the Haryana State Pollution Control Board for integrating environmental and ecological considerations into it and shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(iii) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing village settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and change of land use from green uses such as orchards, horticulture areas, agriculture parks and others like places to non green uses shall be permitted in the Zonal Master Plan, except that strictly limited conversion of agricultural lands maybe permitted to meet the residential needs of the existing local residents together with natural growth of the existing local populations, without the prior approval of the State Government.

(iv) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the State Level Monitoring Committee for any decision to be taken by them including consideration for relaxation.

(v) The Zonal Master Plan shall indicate measures and lay down stipulations for regulation of traffic.

(vi) Pending the preparation of the Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone and approval thereof by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, all new constructions shall be allowed only after the proposals are scrutinized and approved by the Monitoring Committee as referred to in paragraph 4 and there shall be no consequential reduction in Forest, Green and Agricultural area.

(vii) The State Government shall prescribe additional measures, if necessary, in furtherance of the objectives and for giving effect to the provisions of this notification.

3. Regulated or restrictive activities in the Eco-sensitive Zone:-

(a) Industrial Units:-

(I) No new wood based industry shall be set up within two kilometers from the boundary of the Bir Shikargarh Wildlife Sanctuary.

(II) No new polluting industry shall be set up within three kilometers from the boundary of the Bir Shikargarh Wildlife Sanctuary.

(III) No new highly polluting industry shall be set up within five kilometers from the boundary of the Bir Shikargarh Wildlife Sanctuary.

(b) Construction Activities:-

(I) From the boundary of Bir Shikargarh Wildlife Sanctuary upto a distance of one hundred meters, no construction of any kind shall be allowed except tube well chamber of dimension not more than one thousand cubic inches.

(II) In the area falling between one hundred meters to three hundred meters from the boundary of Bir Shikargarh Wildlife Sanctuary, construction of any building more than two storey (twenty five ft) shall not be allowed.

(c) Quarrying and Mining:-

(I) Mining up to one kilometer shall not be allowed from the boundary of the protected area of Bir Shikargarh Wildlife Sanctuary.

(II) Crushing activity upto two kilometers shall not be allowed from the boundary of the protected area of Bir Shikargarh Wildlife Sanctuary.

(d) Trees:- Felling of trees on forest and revenue land shall be subject to the approved management plan by the Government or an authority nominated for that purpose.

(e) Water:-

(i) Extraction of ground water shall be permitted only for the bona-fide agricultural and domestic consumption and sale of ground water shall be permitted except with the prior approval of the State Ground Water Board.

(ii) All steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water including from agriculture.

(f) Noise pollution:- The Environment Department or the State Forest Department, Haryana shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of noise in the Eco-sensitive Zone.

(g) Discharge of effluents:- No untreated or industrial effluent shall be permitted to be discharged into any water body within the Eco-sensitive Zone and treated effluent shall meet the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

(h) Solid Wastes:-

(i) The solid waste disposal shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 and the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components.

(ii) The biodegradable material may be recycled preferably through composting or vermiculture and the inorganic material may be disposed of in an environmentally acceptable manner at a site identified outside the Eco-sensitive Zone and burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

4. Monitoring Committee -

(1) Under the provisions of sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a committee to be called the Monitoring Committee to monitor the compliance with the provisions of this notification.

(2) The Monitoring Committee shall consist of not more than ten members and the Chairman of the Monitoring Committee shall be an eminent person with proven managerial or administrative experience and understanding of local issues and the other members shall be:-

(I) Deputy Conservator of Forests (Wild Life), Panchkula as the Member Secretary;
(II) a representative of the Ministry of Environment and Forests, Government of India; Member
(III) one representative of Non-Governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of India; Member
(IV) Regional Officer, Haryana State Pollution Control Board, Panchkula; Member
(V) senior Town Planner of the area; Member

(3) The powers and functions of the Monitoring Committee shall be restricted to the compliance of the provisions of this notification only.

(4) In case of activities requiring prior permission or environmental clearance, such activities shall be referred to the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), which shall be the Competent Authority for grant of such clearances as per the provisions of the Environmental Impact Assessment Notification, dated the 14th September 2007.

(5) The Monitoring Committee may also invite representatives or experts from concerned Departments or Associations to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Chairman or Member Secretary of Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 for non-compliance of the provisions of this notification.

(7). The Monitoring Committee shall submit its annual action taken reports by the 31st Match of every year to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests and the Central Government in the Ministry of Environment & Forests shall give directions to the Monitoring Committee from time to time for effective discharge of the functions of the Monitoring Committee.

[F. No. 30/1/2008-ESZ]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

ANNEXURE A

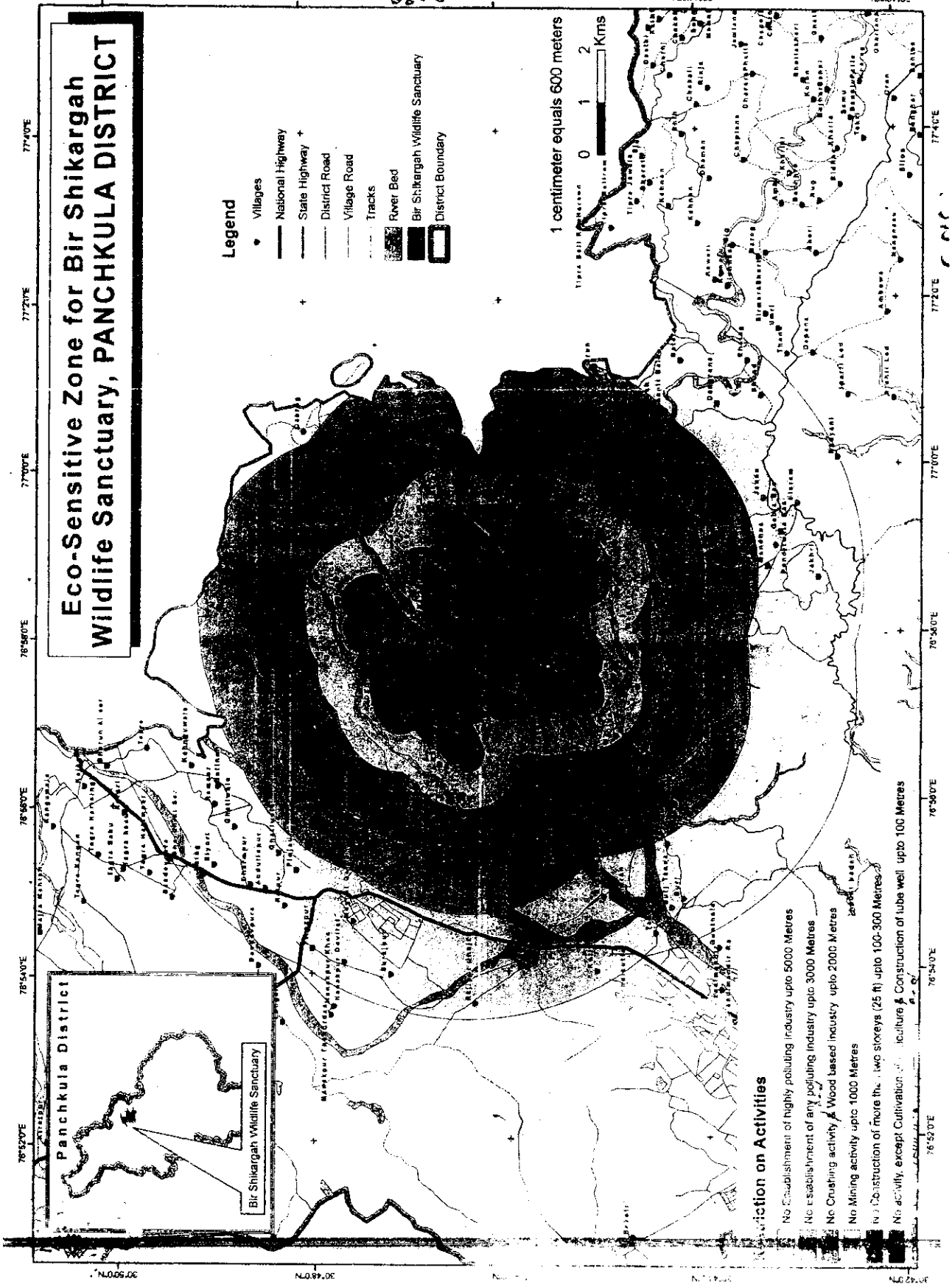

Eco-Sensitive Zone for Bir Shikargah
Wildlife Sanctuary, PANCHKULA DISTRICT
Legend
Villages
National Highway
State Highway
District Road
Village Road
Tracks
River Bed
Bir Shikargah Wildlife Sanctuary
District Boundary
1 centimeter equals 600 meters
0 1 2 Kms
Panchkula District
Bir Shikargah Wildlife Sanctuary
iction on Activities
No Establishment of highly polluting industry upto 5000 Metres
No establishment of any polluting industry upto 3000 Metres
No Crushing activity & Wood based industry upto 2000 Metres
No Mining activity upto 1000 Metres
No Construction of more than two storeys (25 ft) upto 100-300 Metres
No activity, except Cultivation of iculture & Construction of tube well upto 100 Metres
30°50'0"N
30°48'0"N
30°46'0"N
30°44'0"N
30°42'0"N
76°52'0"E
76°54'0"E
76°56'0"E
76°58'0"E
77°0'0"E
77°2'0"E
77°4'0"E

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2009

का.आ. 1396(अ).—नहार वन्य जीव अभ्यारण एक आरक्षित वन है और हरियाणा के रेवाडी जिले में आता है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक भाग है तथा इस क्षेत्र में काला हिरन, सियार, लोमड़ी, गिरगिट तथा ऐसे ही अन्य छोटे पशुओं की अच्छी आबादी है ;

और नहार वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र का पारिस्थितकीय और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के रूप में सुरक्षा और संरक्षण करने की आवश्यकता है ;

और केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य में नीचे वर्णित सीमा के भीतर संलग्न नहार वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र को 'पर्यावरणीय संवेदनशील जोन' (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरणीय संवेदनशील जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव करती है और इस प्रयोजन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन अपेक्षानुसार इस अधिसूचना को उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जन साधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को डाक द्वारा लिखित में या इलेक्ट्रानिक रूप से ई-मेल पता: envisect@nic.in पर सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए ऐसा कर सकेगा ।

प्रारूप प्रस्ताव

1. **पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन** - (i) उक्त पारिस्थितिकीय संवदेनशील जोन नहार वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक का क्षेत्र है, जो हरियाणा के रेवाड़ी जिले में 28° 20' 00" से 28° 28' 00" उत्तरी अक्षांश और 76° 21' 00" से 76° 29' 00" पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है ।

(ii) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन का मानचित्र उपाबंध -क पर है और पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में नहार वन्य जीव अभ्यारण की सीमा के पांच किलोमीटर के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची निम्नानुसार है :

लिलोध, मुमताजपुर(झलेरा), भरंगी, लुखी, गुजरवास, झरोडा, लुलाह अहीर, श्यामनगर (लुलाह जाट), नथेरा, कोसली, भकली, धनिया, जीतपरा, सुधराना, कोहरार, नेहरूगढ़ (गमरी), सुरहली, नहार, सदातनगर, जुदी, झाल ।

(iii) नहार वन्य जीव अभ्यारण के सभी क्रियाकलाप वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों द्वारा शासित किए जा रहे हैं ।

2. **पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर-**

(i) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर तैयार किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(ii) जोनल मास्टर प्लान सभी संबद्ध राज्य विभागों जैसे पर्यावरण, वन, शहरी विकास, पर्यटन, नगरपालिका और राजस्व विभाग तथा इसके पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारों को समन्वित करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सम्यक् रूप से सम्मिलित करके तैयार किया जाएगा तथा निरावृत्त क्षेत्रों के पुनर्स्थापन, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलागम क्षेत्रों के प्रबंध, जल भरण प्रबंध, भूमिगत जल प्रबंध, मृदा और आद्रता संरक्षण, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं के लिए उपबंध किया जाएगा, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

(iii) जोनल मास्टर प्लान सभी विद्यमान ग्राम स्थापनों, वनों के प्रकार और किस्म, कृषि क्षेत्र, उर्वरक भूमि, हरित क्षेत्र, बागवानी क्षेत्र, बागानों, झीलों और अन्य जल निकायों का सीमांकन करेगा और हरित उपयोग से भूमि के उपयोग में जैसे बागान, बागवानी क्षेत्र, कृषि उद्यान और ऐसे ही अन्य स्थानों को गैर हरित उपयोग के लिए परिवर्तित करना तब के सिवाय जोनल मास्टर प्लान में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब कृषि भूमियों का बिल्कुल सीमित संपरिवर्तन विद्यमान स्थानीय जनसंख्या के प्राकृतिक विकास के साथ विद्यमान स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो ।

(iv) जोनल मास्टर प्लान राज्य स्तरीय मानीटरी समिति के लिए उनके द्वारा लिए जाने वाले किसी विनिश्चय हेतु जिसके अंतर्गत शिथिल करने के लिए विचार किया जाना भी है, एक संदर्भ दस्तावेज होगा ।

(v) जोनल मास्टर प्लान, यातायात के विनियमन के लिए उपाय उपदर्शित करेगा और अनुबंधों को अधिकथित करेगा ।

(v) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान की तैयारी के लंबित रहने और केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उसका अनुमोदन सभी नए संनिर्माण प्रस्तावों की संवीक्षा किए जाने और पैरा चार में यथानिर्दिष्ट मानीटरी समिति द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात् ही अनुज्ञात किया जाएगा और वन, हरित और कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कमी नहीं होगी ।

(vi) राज्य सरकार उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि आवश्यक हों, विहित करेगी ।

3. पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में विनियमित या निर्बंधित क्रियाकलाप-

(क) औद्योगिक इकाइयां :--

(I) नहार वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से दो किलोमीटर के भीतर किसी नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

(II) नहार वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से तीन किलोमीटर के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

(III) नहार वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से पांच किलोमीटर के भीतर किसी नए उच्च प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

(ख) संनिर्माण क्रियाकलाप :--

(I) नहार वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से सौ मीटर की दूरी तक एक हजार घन इंच से अनधिक की विमाओं के नलकूप चैंबर के सिवाय, किसी प्रकार का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(II) नहार वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से सौ मीटर से तीन सौ मीटर के बीच आने वाले क्षेत्र में दो मंजिला (पच्चीस फीट) से अधिक किसी भवन का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ग) उत्खनन और खनन :--

(I) कालेसर राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच सौ मीटर तक खनन कार्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(II) कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दो किलोमीटर तक संदलन कार्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(घ) वृक्ष :-- वन और राजस्व भूमि पर वृक्षों की कटाई सरकार या उस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रबंध योजना के अधीन रहते हुए की जाएगी ।

(ङ) जल :-

(i) भूमिगत जल का निष्कर्षण केवल सद्भावपूर्वक कृषि और घरेलू खपत के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और राज्य भूमिगत जल बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, भू-जल का विक्रय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ii) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि से संदूषण और प्रदूषण भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।

(च) **ध्वनि प्रदूषण :-** पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग हरियाणा पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में ध्वनि नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनिमय बनाने वाला प्राधिकारी होगा ।

(छ) बहिस्रावों का निर्वहन :- पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के भीतर किसी जल निकाय में कोई अनुपचारित या औद्योगिक बहिस्राव निर्गमन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और उपचारित बहिस्राव जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों को पूरा करेंगे ।

(ज) ठोस अपशिष्ट :-

(i) ठोस अपशिष्ट के व्ययन का कियान्वयन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा और स्थानीय प्राधिकारी जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथकन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ।

(ii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृषि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा और अकार्बनिक सामग्री का व्ययन किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के बाहर निर्दिष्ट किए गए स्थल पर किया जाएगा तथा ठोस अपशिष्टों का जलाना या भस्मीकरण पारिस्थतिकीय संवेदनशील जोन में अनुज्ञात किया जाएगा ।

4. मानीटरी समिति-

(1) केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का अनुपालन को मानीटर करने के लिए मानीटरी समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन करती है ।

(2) मानीटरी समिति दस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी और मानीटरी समिति का अध्यक्ष ऐसा विख्यात व्यक्ति होगा जिसको सिद्ध प्रबंधकीय या प्रशासनिक अनुभव और स्थानीय मुद्दों की समझ हो तथा अन्य सदस्य निम्नलिखित होंगे :--

I. उप वन पालक (वन्य जीव), रेवाड़ी, सदस्य-सचिव ;

II. भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ; सदस्य

III. पर्यावरण (धरोहर संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए.; सदस्य

IV. प्रादेशिक अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुड़गांव ; सदस्य

V. क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार ; सदस्य

(3) मानीटरी समिति की शक्तियां और कृत्य केवल इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन तक निर्बंधित होंगे ।

(4) ऐसे क्रियाकलापों की दशा में, जिनमें पूर्व अनुमति या पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित है, ऐसे क्रियाकलाप राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए) को निर्दिष्ट किए जाएंगे जो पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना तारीख 14 सितंबर, 2007 के उपबंधों के अनुसार ऐसी अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा ।

(5) मानीटरी समिति, मुद्दा दर मुद्दा आधार की अपेक्षाओं पर आश्रित रहते हुए उसके निष्कर्षों में सहायता करने के लिए संबद्ध विभागों या संगमों से प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव इस अधिसूचना के उपबंधों के अननुपालन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होंगा ।

(7) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष पर्यावरण और वन मंत्रालय को 31 मार्च तक अपनी वार्षिक की गई कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय समय-समय पर मानीटरी समिति के कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए अपने निदेश देगा ।

[फा. सं. 30/1/2008-ईएसजेड]
डॉ. जी. वी. सुब्रह्मन्यम, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध क

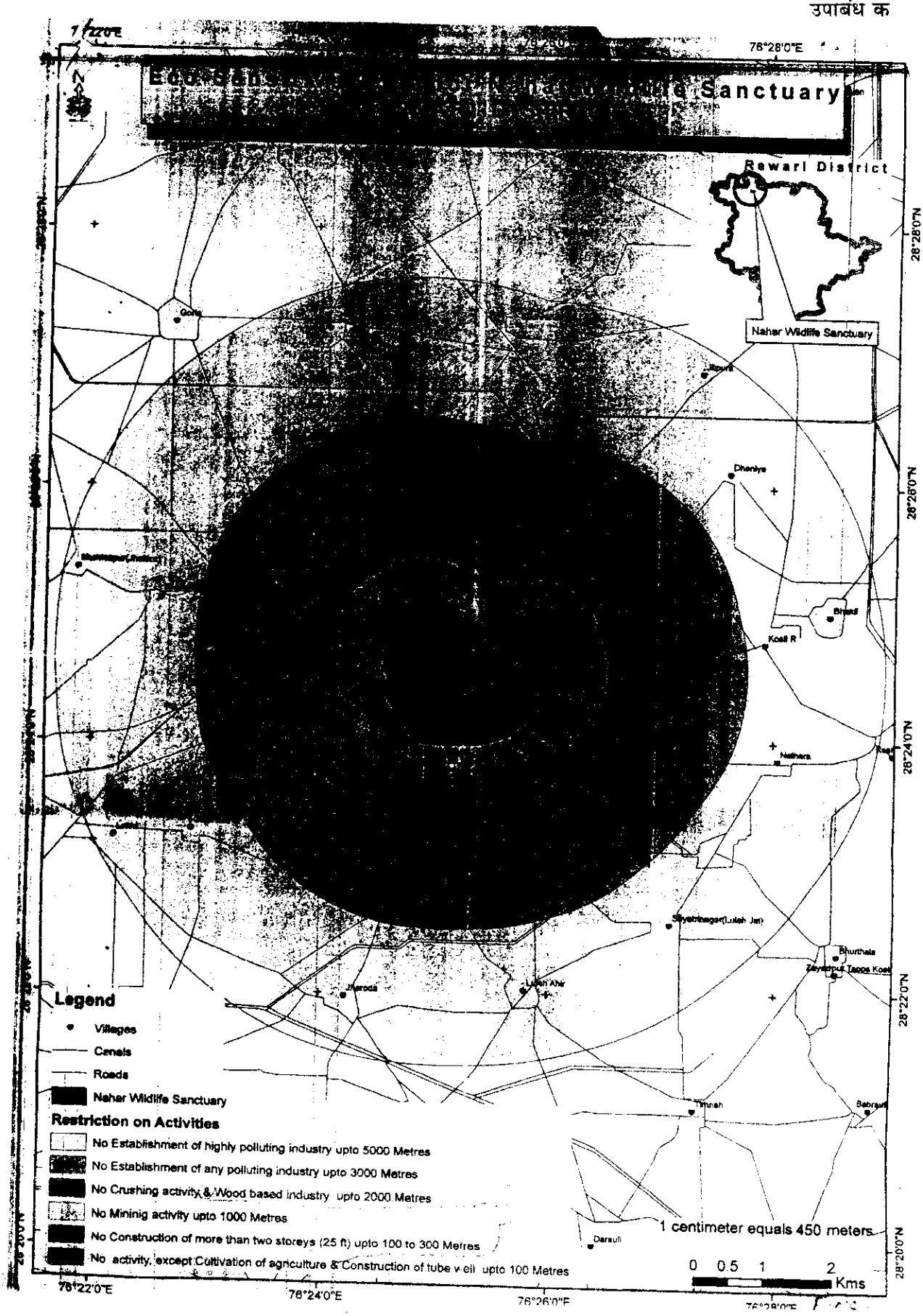

Sanctuary
76°28'0"E
Rewari District
Nahar Wildlife Sanctuary
28°28'0"N
28°26'0"N
28°24'0"N
28°22'0"N
28°20'0"N
Dhaniya
Koell R
Nathera
Bhurthala
Zaindpur Tappa Kosli
Jharoda
Lulah Ahir
Darauli
Legend
Villages
Canals
Roads
Nahar Wildlife Sanctuary
Restriction on Activities
No Establishment of highly polluting industry upto 5000 Metres
No Establishment of any polluting industry upto 3000 Metres
No Crushing activity & Wood based industry upto 2000 Metres
No Mininig activity upto 1000 Metres
No Construction of more than two storeys (25 ft) upto 100 to 300 Metres
No activity, except Cultivation of agriculture & Construction of tube well upto 100 Metres
1 centimeter equals 450 meters
0 0.5 1 2
Kms
76°22'0"E
76°24'0"E
76°26'0"E

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2009

S.O. 1396(E).— WHEREAS, the Nahar Wildlife Sanctuary is a reserved forest and falls in the Rewari district of Haryana and is a part of 'National Capital Region' and the area supports a good population of Black Bucks, Jackals, Foxes, Monitor Lizards and such other small animals;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area upto five kilometers from the boundary of the protected area of Nahar Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view;

AND WHEREAS, the Central Government proposes to notify the area up to five kilometers from the boundary of the protected area of Nahar Wildlife Sanctuary enclosed within the boundary described below in the State of Haryana as 'Eco Sensitive Zone' (hereinafter called as the Eco Sensitive Zone) in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and for that purpose hereby publish this notification as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may do so in writing for consideration of the Central Government within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110003, or electronically at e-mail address: envisect@nic.in.

DRAFT PROPOSALS

1. Boundaries of Eco-sensitive Zone:-

(i) The said Eco-sensitive Zone is the area upto five kilometers from the boundary of the protected area of Nahar Wildlife Sanctuary situated in the Rewari District of Haryana between 28^0 20' 00" to 28^0 28' 00" North latitude and between 76^0 21' 00" to 76^0 29' 00" East longitude.

(ii) The map of the Eco-sensitive Zone is at Annexure-A and the list of the villages falling within five kilometers distance of the boundary of Nahar Wildlife Sanctuary in the Eco-sensitive Zone are as follows:

Lilodh, Mamtazpur (Jhalera), Bharangi, Lukhi, Gujarwas, Jharoda, Lulah Ahir, Shyamnangar (Lulah Jat), Nathera, Kosli, Bhakli, Dhaniya, Jitpra, Sudhrana, Koharar, Nehrugarh (Gamri), Surhali, Nahar, Sadatnagar, Judi, Jhal.

(iii) All activities in the Nahar Wildlife Sanctuary are being governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972).

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone:-

(i) A Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government within a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette and submitted for approval to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, Government of India.

(ii) The Zonal Master Plan shall be prepared with due involvement of all concerned State Departments, such as Environment, Forest, Urban Development, Tourism, Municipal and Revenue Department and the Haryana State Pollution Control Board for integrating environmental and ecological considerations into it and shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(iii) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing village settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and change of land use from green uses such as orchards, horticulture areas, agriculture parks and others like places to non green uses shall be permitted in the Zonal Master Plan, except that strictly limited conversion of agricultural lands maybe permitted to meet the residential needs of the existing local residents together with natural growth of the existing local populations, without the prior approval of the State Government.

(iv) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the State Level Monitoring Committee for any decision to be taken by them including consideration for relaxation.

(v) The Zonal Master Plan shall indicate measures and lay down stipulations for regulation of traffic.

(vi) Pending the preparation of the Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone and approval thereof by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, all new constructions shall be allowed only after the proposals are scrutinized and approved by the Monitoring Committee as referred to in paragraph 4 and there shall be no consequential reduction in Forest, Green and Agricultural area.

(vii) The State Government shall prescribe additional measures, if necessary, in furtherance of the objectives and for giving effect to the provisions of this notification.

3. Regulated or restrictive activities in the Eco-sensitive Zone:-

(a) Industrial Units:-

(I) No new wood based industry shall be set up within two kilometers from the boundary of the Nahar Wildlife Sanctuary.

(II) No new polluting industry shall be set up within three kilometers from the boundary of the Nahar Wildlife Sanctuary.

(III) No new highly polluting industry shall be set up within five kilometers from the boundary of the Nahar Wildlife Sanctuary.

(b) Construction Activities:-

(I) From the boundary of Nahar Wildlife Sanctuary upto a distance of one hundred meters, no new construction of any kind shall be allowed except tube well chamber of dimension not more than one thousand cubic inches.

(II) In the area falling between one hundred meters to three hundred meters from the boundary of Nahar Wildlife Sanctuary, new construction of any building more than two storeys (twenty five feet) shall not be allowed.

(c) Quarrying and Mining:-

(I) Mining upto five hundred meters shall not be allowed from the boundary of the protected area of Kalesar National Park.

(II) Crushing activity upto two kilometers shall not be allowed from the boundary of the protected area of Kalesar National Park.

(d) Trees:- Felling of trees on forest and revenue land shall be subject to the approved management plan by the Government or an authority nominated for that purpose.

(e) Water:-

(i) Extraction of ground water shall be permitted only for the bona-fide agricultural and domestic consumption and sale of ground water shall be permitted except with the prior approval of the State Ground Water Board.
(ii) All steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water including from agriculture.

(f) Noise pollution:- The Environment Department or the State Forest Department, Haryana shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of noise in the Eco-sensitive Zone.

(g) Discharge of effluents:- No untreated or industrial effluent shall be permitted to be discharged into any water body within the Eco-sensitive Zone and treated effluent shall meet the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

(h) Solid Wastes:-

(i) The solid waste disposal shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 and the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components.
(ii) The biodegradable material may be recycled preferably through composting or vermiculture and the inorganic material may be disposed of in an environmentally acceptable manner at a site identified outside the Eco-sensitive Zone and burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

4. **Monitoring Committee -**

(1) Under the provisions of sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a committee to be called the Monitoring Committee to monitor the compliance with the provisions of this notification.

(2) The Monitoring Committee shall consist of not more than ten members and the Chairman of the Monitoring Committee shall be an eminent person with proven managerial or administrative experience and understanding of local issues and the other members shall be:-

(I) Deputy Conservator of Forests (Wild Life), Rewari as the Member Secretary;

(II) a representative of the Ministry of Environment and Forests, Government of India; Member

(III) one representative of Non-Governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of India; Member

(IV) Regional Officer, Haryana State Pollution Control Board, Gurgaon; Member

(V) senior Town Planner of the area; Member.

(3) The powers and functions of the Monitoring Committee shall be restricted to the compliance of the provisions of this notification only.

(4) In case of activities requiring prior permission or environmental clearance, such activities shall be referred to the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), which shall be the Competent Authority for grant of such clearances as per the provisions of the Environmental Impact Assessment Notification, dated the 14th September 2007.

(5) The Monitoring Committee may also invite representatives or experts from concerned Departments or Associations to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Chairman or Member Secretary of Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 for non-compliance of the provisions of this notification.

(7) The Monitoring Committee shall submit its annual action taken reports by the 31st March of every year to the Ministry of Environment and Forests and the Central Government in the Ministry of Environment and Forests shall give directions to the Monitoring Committee from time to time for effective discharge of the functions of the Monitoring Committee.

[F. No. 30-1/2008-ISZ]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

ANNEXURE A

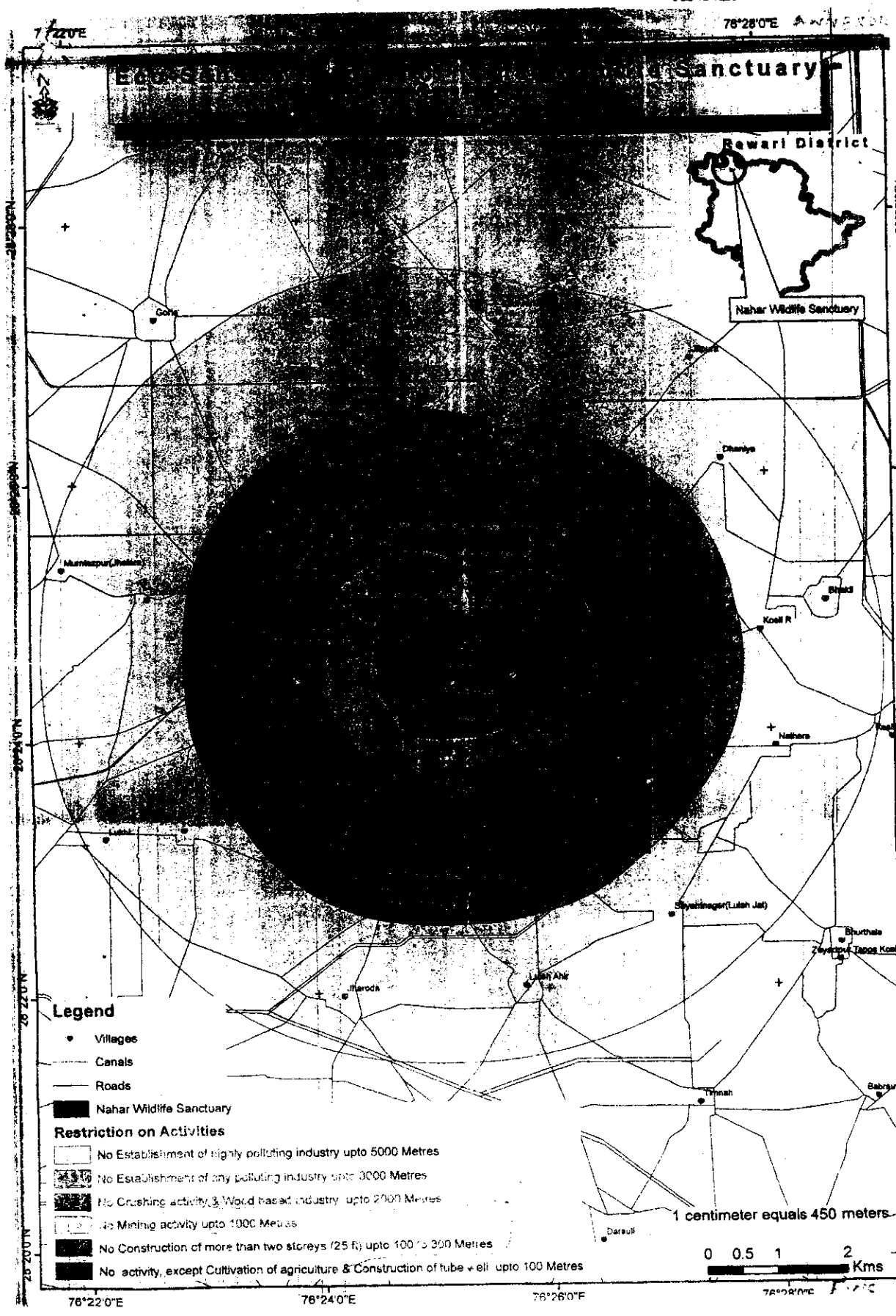

Rewari District
Nahar Wildlife Sanctuary
Dhaniya
Bhadi
Nathera
Lulah Ahir
Jharoda
Bhurthala
Timnah
Darauli
Legend
Villages
Canals
Roads
Nahar Wildlife Sanctuary
Restriction on Activities
No Establishment of highly polluting industry upto 5000 Metres
No Establishment of any polluting industry upto 3000 Metres
No Crushing activity & Wood based industry upto 2000 Metres
No Mining activity upto 1000 Metres
No Construction of more than two storeys (25 ft) upto 100 to 300 Metres
No activity, except Cultivation of agriculture & Construction of tube well upto 100 Metres
1 centimeter equals 450 meters
0 0.5 1 2 Kms
76°22'0"E
76°24'0"E
76°26'0"E
76°28'0"E
28°28'0"N
28°26'0"N
28°24'0"N
28°22'0"N
28°20'0"N

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2009

का.आ. 1397(अ).—छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण जो, लगभग 71 एकड़ क्षेत्र में है, एक छोटा सा स्थान है जो, शीतकालीन प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है और उर्वरक कृषि भूमि से घिरा हुआ है ;

और छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र का पारिस्थितकीय और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के रूप में सुरक्षा और संरक्षण करने की आवश्यकता है ;

और केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य में नीचे वर्णित सीमा के भीतर संलग्न छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र को 'पर्यावरणीय संवेदनशील जोन' (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरणीय संवेदनशील जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव करती है और इस प्रयोजन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन अपेक्षानुसार इस अधिसूचना को उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जन साधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को डाक द्वारा लिखित में या इलेक्ट्रानिक रूप से ई-मेल पता: envisect@nic.in पर सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए ऐसा कर सकेगा ।

प्रारूप प्रस्ताव

1. पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन - (i) उक्त पारिस्थितिकीय संवदेनशील जोन छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक का क्षेत्र है, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में 29° 52' 00" से 30° 00' 00" उत्तरी अक्षांश और 76° 36' 00" से 76° 46' 00" पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है ।

(ii) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन का मानचित्र उपाबंध -क पर है और पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण की सीमा के पांच किलोमीटर के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची निम्नानुसार है :

मुर्तजापुर, डेरा, गुरचरन सिंह, छिलोन, नानकपुरा, रुवान, सलेमपुर मदीद, घरासी, कमोदा, लुहार माजरा, रोनानिन्देरबारी, मुजीमपुर, रामपुरा, झिवारांवली, गढी, तिकोरां, धिपसारी, रामपुर खेरा, खिजापुरा, साइदान, भोर, सरसा, पिंदारसी, सिंहपुरा, गढी सिंघावली, भैसई माजरा ।

(iii) छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण के सभी क्रियाकलाप वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों द्वारा शासित किए जा रहे हैं ।

2. पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर-

(i) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर तैयार किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(ii) जोनल मास्टर प्लान सभी संबद्ध राज्य विभागों जैसे पर्यावरण, वन, शहरी विकास, पर्यटन, नगरपालिका और राजस्व विभाग तथा इसके पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारों को समन्वित करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सम्यक् रूप से सम्मिलित करके तैयार किया जाएगा तथा निरावृत्त क्षेत्रों के पुनर्स्थापन, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलागम क्षेत्रों के प्रबंध, जल भरण प्रबंध, भूमिगत जल प्रबंध, मृदा और आद्रता संरक्षण, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं के लिए उपबंध किया जाएगा, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

(iii) जोनल मास्टर प्लान सभी विद्यमान ग्राम स्थापनों, वनों के प्रकार और किस्म, कृषि क्षेत्र, उर्वरक भूमि, हरित क्षेत्र, बागवानी क्षेत्र, बागानों, झीलों और अन्य जल निकायों का सीमांकन करेगा और हरित उपयोग से भूमि के उपयोग में जैसे बागान, बागवानी क्षेत्र, कृषि उद्यान और ऐसे ही अन्य स्थानों को गैर हरित उपयोग के लिए परिवर्तित करना तब के सिवाय जोनल मास्टर प्लान में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब कृषि भूमियों का बिल्कुल सीमित संपरिवर्तन विद्यमान स्थानीय जनसंख्या के प्राकृतिक विकास के साथ विद्यमान स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो ।

(iv) जोनल मास्टर प्लान राज्य स्तरीय मानीटरी समिति के लिए उनके द्वारा लिए जाने वाले किसी विनिश्चय हेतु जिसके अंतर्गत शिथिल करने के लिए विचार किया जाना भी है, एक संदर्भ दस्तावेज होगा ।

(v) जोनल मास्टर प्लान, यातायात के विनियमन के लिए उपाय उपदर्शित करेगा और अनुबंधों को अधिकथित करेगा ।

(vi) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान की तैयारी के लंबित रहने और केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उसका अनुमोदन सभी नए संनिर्माण प्रस्तावों की संवीक्षा किए जाने और पैरा चार में यथानिर्दिष्ट मानीटरी समिति द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात् ही अनुज्ञात किया जाएगा और वन, हरित और कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कमी नहीं होगी ।

(vii) राज्य सरकार उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि आवश्यक हों, विहित करेगी ।

3. पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में विनियमित या निर्बंधित क्रियाकलाप-

(क) औद्योगिक इकाइयां :-

(I) छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से दो किलोमीटर के भीतर किसी नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

(II) छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से तीन किलोमीटर के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

(III) छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से पांच किलोमीटर के भीतर किसी नए उच्च प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

(ख) संनिर्माण क्रियाकलाप :-

(I) छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से सौ मीटर की दूरी तक एक हजार घन इंच से अनधिक की विमाओं के नलकूप चैंबर के सिवाय, किसी प्रकार का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(II) छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से सौ मीटर से तीन सौ मीटर के बीच आने वाले क्षेत्र में दो मंजिला (पच्चीस फीट) से अधिक किसी भवन का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ग) उत्खनन और खनन :-

(I) छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक खनन कार्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(II) छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दो किलोमीटर तक संदलन कार्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(घ) वृक्ष :- वन और राजस्व भूमि पर वृक्षों की कटाई सरकार या उस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रबंध योजना के अधीन रहते हुए की जाएगी ।

(ङ) जल :-

(i) भूमिगत जल का निष्कर्षण केवल सद्भावपूर्वक कृषि और घरेलू खपत के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और राज्य भूमिगत जल बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, भू-जल का विक्रय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ii) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि से संदूषण और प्रदूषण भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।

(च) ध्वनि प्रदूषण :- पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग हरियाणा पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में ध्वनि नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनिमय बनाने वाला प्राधिकारी होगा ।

(छ) बहिस्रावों का निर्वहन :- पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के भीतर किसी जल निकाय में कोई अनुपचारित या औद्योगिक बहिस्राव निर्गमन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और उपचारित बहिस्राव जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों को पूरा करेंगे ।

(ज) ठोस अपशिष्ट :-

(i) ठोस अपशिष्ट के व्ययन का क्रियान्वयन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा और स्थानीय प्राधिकारी जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथकन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ।

(ii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा और अकार्बनिक सामग्री का व्ययन किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के बाहर चिन्हित किए गए स्थल पर किया जाएगा तथा ठोस अपशिष्टों का जलाना या भस्मीकरण पारिस्थतिकीय संवेदनशील जोन में अनुज्ञात किया जाएगा ।

4. मानीटरी समिति-

(1) केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का अनुपालन को मानीटर करने के लिए मानीटरी समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन करती है ।

(2) मानीटरी समिति दस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी और मानीटरी समिति का अध्यक्ष ऐसा विख्यात व्यक्ति होगा जिसको सिद्ध प्रबंधकीय या प्रशासनिक अनुभव और स्थानीय मुद्दों की समझ हो तथा अन्य सदस्य निम्नलिखित होंगे :--

I. उप वन पालक (वन्य जीव), कुरुक्षेत्र, सदस्य-सचिव ;

II. भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ; सदस्य

III. पर्यावरण (धरोहर संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ; सदस्य

IV. प्रादेशिक अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यमुनानगर ; सदस्य

V. क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार ; सदस्य

(3) मानीटरी समिति की शक्तियां और कृत्य केवल इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन तक निर्बंधित होंगे ।

(4) ऐसे क्रियाकलापों की दशा में, जिनमें पूर्व अनुमति या पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित है, ऐसे क्रियाकलाप राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए) को निर्दिष्ट किए जाएंगे जो पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना तारीख 14 सितंबर, 2007 के उपबंधों के अनुसार ऐसी अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा ।

(5) मानीटरी समिति, मुद्दा दर मुद्दा आधार की अपेक्षाओं पर आश्रित रहते हुए उसके निष्कर्षों में सहायता करने के लिए संबद्ध विभागों या संगमों से प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव इस अधिसूचना के उपबंधों के अननुपालन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(7) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष पर्यावरण और वन मंत्रालय को 31 मार्च तक अपनी वार्षिक की गई कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय समय-समय पर मानीटरी समिति के कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए अपने निदेश देगा ।

[फा. सं. 30/1/2008-ईएसजेड]
डॉ. जी. वी. सुब्रह्मण्यम, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध क

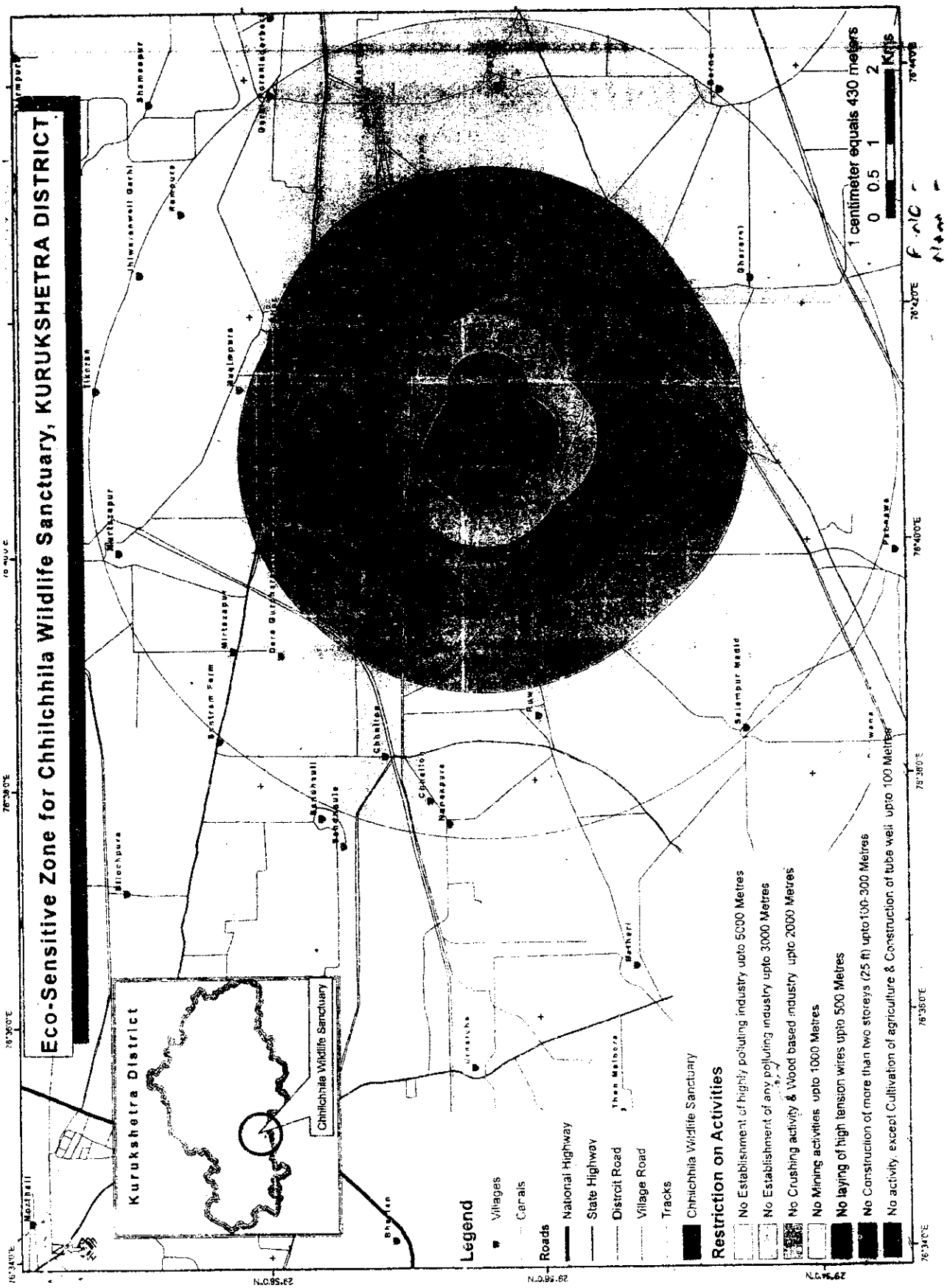

Eco-Sensitive Zone for Chhilchhila Wildlife Sanctuary, KURUKSHETRA DISTRICT
Kurukshetra District
Chhilchhila Wildlife Sanctuary
Legend
Villages
Canals
Roads
National Highway
State Highway
District Road
Village Road
Tracks
Chhilchhila Wildlife Sanctuary
Restriction on Activities
No Establishment of highly polluting industry upto 5000 Metres
No Establishment of any polluting industry upto 3000 Metres
No Crushing activity & Wood based industry upto 2000 Metres
No Mining activities upto 1000 Metres
No laying of high tension wires upto 500 Metres
No Construction of more than two storeys (25 ft) upto 100-300 Metres
No activity, except Cultivation of agriculture & Construction of tube well upto 100 Metres
1 centimeter equals 430 meters
0 0.5 1 2 Kms

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2009

S.O. 1397(E). -WHEREAS, the Chhilchhila Wildlife Sanctuary which is about 71 acres in area, is a small depression which attracts winter migratory birds and surrounded by fertile agriculture land;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area upto five kilometers from the boundary of the protected area of Chhilchhila Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view;

AND WHEREAS, the Central Government proposes to notify the area up to five kilometers from the boundary of the protected area of Chhilchhila Wildlife Sanctuary enclosed within the boundary described below in the State of Haryana as 'Eco Sensitive Zone' (hereinafter called as the Eco Sensitive Zone) in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub - section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and for that purpose hereby publish this notification as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may do so in writing for consideration of the Central Government within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110003, or electronically at e-mail address: envsect@nic.in.

DRAFT PROPOSALS

Boundaries of Eco-sensitive Zone:-

(i) The said Eco-sensitive Zone is the area upto five kilometers from the boundary of the protected area of Chhilchhila Wildlife Sanctuary situated in the Kurukshetra District of Haryana between 29° 52' 00" to 30° 00' 00" North latitude and between 76° 36' 00" to 76° 46' 00" East longitude.

(ii) The map of the Eco-sensitive Zone is at Annexure-A and the list of the villages falling within five kilometers distance of the boundary of Chhilchhila Wildlife Sanctuary in the Eco sensitive Zone are as follows:

Murtazapur, Dera Gurcharan Singh, Chhailon, Nanakpura, Ruwan, Salempur Madid, Gharsi, Kamoda, Luhar Majara, Rotaninderbari, Muzampur, Rampura, Jhiwaranwah,

Garhi, Tikoran, Dhipsari, Rampur Khera, Khizapura, Saidan, Bhor, Sarsa, Pindarsi, Singhpura, Garhi Sighawali, Bhainsae Majra.

(iii) All activities in the Chhilchhila Wildlife Sanctuary are being governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972).

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone:-

(i) A Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government within a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette and submitted for approval to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, Government of India.

(ii) The Zonal Master Plan shall be prepared with due involvement of all concerned State Departments, such as Environment, Forest, Urban Development, Tourism, Municipal and Revenue Department and the Haryana State Pollution Control Board for integrating environmental and ecological considerations into it and shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(iii) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing village settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and change of land use from green uses such as orchards, horticulture areas, agriculture parks and others like places to non green uses shall be permitted in the Zonal Master Plan, except that strictly limited conversion of agricultural lands maybe permitted to meet the residential needs of the existing local residents together with natural growth of the existing local populations, without the prior approval of the State Government.

(iv) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the State Level Monitoring Committee for any decision to be taken by them including consideration for relaxation.

(v) The Zonal Master Plan shall indicate measures and lay down stipulations for regulation of traffic.

(vi) Pending the preparation of the Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone and approval thereof by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, all new constructions shall be allowed only after the proposals are scrutinized and approved by the Monitoring Committee as referred to in paragraph 4 and there shall be no consequential reduction in Forest, Green and Agricultural area.

(vii) The State Government shall prescribe additional measures, if necessary, in furtherance of the objectives and for giving effect to the provisions of this notification.

3. Regulated or restrictive activities in the Eco-sensitive Zone:-

(a) Industrial Units:-

(I) No new wood based industry shall be set up within two kilometers from the boundary of the Chhilchhila Wildlife Sanctuary.

(II) No new polluting industry shall be set up within three kilometers from the boundary of the Chhilchhila Wildlife Sanctuary.

(III) No new highly polluting industry shall be set up within five kilometers from the boundary of the Chhilchhila Wildlife Sanctuary.

(b) Construction Activities:-

(I) From the boundary of Chhilchhila Wildlife Sanctuary upto a distance of one hundred meters, no new construction of any kind shall be allowed except tube well chamber of dimension not more than one thousand cubic inches.

(II) In the area falling between one hundred meters to three hundred meters from the boundary of Chhilchhila Wildlife Sanctuary, new construction of any building more than two storeys (twenty five ft) shall not be allowed.

(c) Quarrying and Mining:-

I. Mining up to one kilometer shall not be allowed from the boundary of the protected area of Chhilchhila Wildlife Sanctuary.

II. Crushing activity upto two kilometers shall not be allowed from the boundary of the protected area of Chhilchhila Wildlife Sanctuary.

(d) Trees:- Felling of trees on forest and revenue land shall be subject to the approved management plan by the Government or an authority nominated for that purpose.

(e) Water:-

(i) Extraction of ground water shall be permitted only for the bona-fide agricultural and domestic consumption and sale of ground water shall be permitted except with the prior approval of the State Ground Water Board.

(ii) All steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water including from agriculture.

(f) Noise pollution:- The Environment Department or the State Forest Department, Haryana shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of noise in the Eco-sensitive Zone.

(g) Discharge of effluents:- No untreated or industrial effluent shall be permitted to be discharged into any water body within the Eco-sensitive Zone and treated effluent shall meet the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

(h) Solid Wastes:-

(i) The solid waste disposal shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 and the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components.

(ii) The biodegradable material may be recycled preferably through composting or vermiculture and the inorganic material may be disposed of in an environmentally acceptable manner at a site identified outside the Eco-sensitive Zone and burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

4. Monitoring Committee -

(1) Under the provisions of sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a committee to be called the Monitoring Committee to monitor the compliance with the provisions of this notification.

(2) The Monitoring Committee shall consist of not more than ten members and the Chairman of the Monitoring Committee shall be an eminent person with proven managerial or administrative experience and understanding of local issues and the other members shall be:-

(I) Deputy Conservator of Forests (Wild Life), Kurukshetra as the Member Secretary;

(II) a representative of the Ministry of Environment and Forests, Government of India; Member

(III) one representative of Non-Governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of India; Member

(IV) Regional Officer, Haryana State Pollution Control Board, Yamunanagar; Member

(V) senior Town Planner of the area; Member.

(3) The powers and functions of the Monitoring Committee shall be restricted to the compliance of the provisions of this notification only.

(4) In case of activities requiring prior permission or environmental clearance, such activities shall be referred to the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), which shall be the Competent Authority for grant of such clearances as per the provisions of the Environmental Impact Assessment Notification, dated the 14th September 2007.

(5) The Monitoring Committee may also invite representatives or experts from concerned Departments or Associations to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Chairman or Member Secretary of Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 for non-compliance of the provisions of this notification.

(7) The Monitoring Committee shall submit its annual action taken reports by the 31st March of every year to the Ministry of Environment and Forests and the Central Government in the Ministry of Environment and Forests shall give directions to the Monitoring Committee from time to time for effective discharge of the functions of the Monitoring Committee.

[F. No. 30/1/2008-ESZ]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

ANNEXURE A

Eco-Sensitive Zone for Chhilchhila Wildlife Sanctuary, KURUKSHETRA DISTRICT
Kurukshetra District
Chhilchhila Wildlife Sanctuary
1 centimeter equals 430 meters
0 0.5 1 2 Kms
Legend
Villages
Canals
Roads
National Highway
State Highway
District Road
Village Road
Tracks
Chhilchhila Wildlife Sanctuary
Restriction on Activities
No Establishment of highly polluting industry upto 5000 Metres
No Establishment of any polluting industry upto 3000 Metres
No Crushing activity & Wood based industry upto 2000 Metres
No Mining activities upto 1000 Metres
No laying of high tension wires upto 500 Metres
No Construction of more than two storeys (25 ft) upto 100-300 Metres
No activity except Cultivation of agriculture & Construction of tube well upto 100 Metres

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2009

का.आ. 1398(अ).— अबुबशहर वन्य जीव अभ्यारण किसी विशिष्ट मरुस्थल, पारिस्थितिकीय प्रणाली का प्रतीक है, किन्तु वहां ऐसा कोई पौधा नहीं पाया जाता है, जो इस क्षेत्र के लिए स्थानिक हो और यह काले मृगों के स्वछंद निवास स्थान के रूप में जाना जाता है और मानव क्रियाकलापों की वृद्धि के कारण उनमें से कुछ को सुरक्षित निवास स्थान की खोज में उस क्षेत्र को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है ;

और अबुबशहर वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र का पारिस्थितकीय और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के रूप में सुरक्षा और संरक्षण करने की आवश्यकता है ;

और केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य में नीचे वर्णित सीमा के भीतर संलग्न अबुबशहर वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र को 'पर्यावरणीय संवेदनशील जोन' (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरणीय संवेदनशील जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव करती है और इस प्रयोजन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन अपेक्षानुसार इस अधिसूचना को उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जन साधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को डाक द्वारा लिखित में या इलेक्ट्रानिक रूप से ई-मेल पता: envisect@nic.in पर सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए ऐसा कर सकेगा ।

प्रारूप प्रस्ताव

1. **पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन** -

(ख) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन अबुबशहर वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक का क्षेत्र है, जो हरियाणा के सिरसा जिले में 29° 42' 00" से 29° 57' 00" उत्तरी अक्षांश और 74° [illegible] से [illegible] 48' 00" पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है ।

(ग) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन का मानचित्र उपाबंध -क पर है और पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में अबुबशहर वन्य जीव अभ्यारण की सीमा के पांच किलोमीटर के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची निम्नानुसार है :

[illegible], मौजगढ़, [illegible], [illegible], कलुआना, लौहगढ, शेरगढ़, लाम्बी, धानी, नानुपुरा, मो[illegible], गोविन्दगढ़, लखुवाना, [illegible] हैं ।

(घ) अबुबशहर वन्य जीव अभ्यारण के सभी क्रियाकलाप वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों द्वारा शासित किए जा रहे हैं ।

2. **पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर-**

(i) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर तैयार किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाए;

(ii) जोनल मास्टर प्लान सभी संबद्ध राज्य विभागों जैसे पर्यावरण, वन, शहरी विकास, पर्यटन, नगरपालिका और राजस्व विभाग तथा इसके पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारों को समन्वित करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सम्यक् रूप से सम्मिलित करके तैयार किया जाएगा तथा निरावृत्त क्षेत्रों के पुनर्स्थापन, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंध, जल भरण प्रबंध, भूमिगत जल प्रबंध, मृदा और आद्रता संरक्षण, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं के लिए उपबंध किया जाएगा, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

(iii) जोनल मास्टर प्लान सभी विद्यमान ग्राम स्थापनों, वनों के प्रकार और किस्म, कृषि क्षेत्र, उर्वरक भूमि, हरित क्षेत्र, उद्यानी क्षेत्र, बागानों, झीलों और अन्य जल निकायों का सीमांकन करेगा और हरित उपयोग से भूमि के उपयोग में जैसे बागान, बागवानी क्षेत्र, कृषि उद्यान और ऐसे ही अन्य स्थानों को गैर हरित उपयोग के लिए परिवर्तित करना तब के सिवाय जोनल मास्टर प्लान में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब कृषि भूमि को बिल्कुल सीमित संपरिवर्तन विद्यमान स्थानीय जनसंख्या के प्राकृतिक विकास के साथ विद्यमान स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो ।

(iv) जोनल मास्टर प्लान राज्य स्तरीय मानीटरी समिति के लिए उनके द्वारा लिए जाने वाले किसी विनिश्चय हेतु, [illegible] किया जाना भी है, एक संदर्भ दस्तावेज होगा ।

(v) जोनल मास्टर प्लान, यातायात के विनियमन के लिए उपाय उपदर्शित करेगा और अनुबंधों को अधिकथित करेगा ।

(vi) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान की तैयारी के लंबित रहने और केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उसका अनुमोदन सभी नए संनिर्माण प्रस्तावों की संवीक्षा किए जाने और पैरा चार में यथानिर्दिष्ट मानीटरी समिति द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात् ही अनुज्ञात किया जाएगा और वन, हरित और कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कमी नहीं होगी ।

(vii) राज्य सरकार उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि आवश्यक हों, विहित करेगी ।

3. पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में विनियमित या निर्बंधित क्रियाकलाप-

(क) औद्योगिक इकाइयां :-

(I) अबुबशहर वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से दो किलोमीटर के भीतर किसी नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

(II) अबुबशहर वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से तीन किलोमीटर के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

(III) अबुबशहर वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से पांच किलोमीटर के भीतर किसी नए उच्च प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

(ख) संनिर्माण क्रियाकलाप :-

(I) अबुबशहर वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से सौ मीटर की दूरी तक एक हजार घन इंच से अनधिक की विमाओं के नलकूप चैंबर के सिवाय, किसी प्रकार का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(II) अबुबशहर वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से सौ मीटर से तीन सौ मीटर के बीच आने वाले क्षेत्र में दो मंजिला (पच्चीस फीट) से अधिक किसी भवन का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ग) उत्खनन और खनन :-

(I) अबुबशहर वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक खनन कार्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(II) अबुबशहर वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दो किलोमीटर तक संदलन कार्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(घ) वृक्ष :- वन और राजस्व भूमि पर वृक्षों की कटाई सरकार या उस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रबंध योजना के अधीन रहते हुए की जाएगी ।

(ङ) जल :-

(i) भूमिगत जल का निष्कर्षण केवल सद्भावपूर्वक कृषि और घरेलू खपत के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और राज्य भूमिगत जल बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, भू-जल का विक्रय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ii) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि से संदूषण और प्रदूषण भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।

(च) ध्वनि प्रदूषण :- पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग हरियाणा पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में ध्वनि नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनिमय बनाने वाला प्राधिकारी होगा ।

(छ) बहिस्रावों का निर्वहन :- पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के भीतर किसी जल [illegible] कोई अनुपचारित या औद्योगिक बहिस्राव निर्गमन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और उपचारित बहिस्राव जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों को पूरा करेंगे ।

(ज) ठोस अपशिष्ट :-

(i) ठोस अपशिष्ट के व्ययन का क्रियान्वयन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा और स्थानीय प्राधिकारी जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ।

(ii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा और अकार्बनिक सामग्री का व्ययन किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति से पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के बाहर चिन्हित किए गए स्थल पर किया जाएगा तथा ठोस अपशिष्टों का जलाना या भस्मीकरण पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में अनुज्ञात किया जाएगा ।

4. मानीटरी समिति

(1) केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का अनुपालन को मानीटर करने के लिए मानीटरी समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन करती है ।

(2) मानीटरी समिति दस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी और मानीटरी समिति का अध्यक्ष ऐसा विख्यात व्यक्ति होगा जिसको सिद्ध प्रबंधकीय या प्रशासनिक अनुभव और स्थानीय मुद्दों की समझ हो तथा अन्य सदस्य निम्नलिखित होंगे :–

I. उप वन पालक (वन्य जीव), सिरसा, सदस्य-सचिव ;

II. भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ; सदस्य

III. पर्यावरण (धरोहर संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ; सदस्य

IV. प्रादेशिक अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हिसार; सदस्य

V. क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार ; सदस्य

(3) मानीटरी समिति की शक्तियां और कृत्य केवल इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन तक निर्बंधित होंगे ।

(4) ऐसे क्रियाकलापों की दशा में, जिनमें पूर्व अनुमति या पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित है, ऐसे क्रियाकलाप राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए) को निर्दिष्ट किए जाएंगे जो पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना तारीख 14 सितंबर, 2007 के उपबंधों के अनुसार ऐसी अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा ।

(5) मानीटरी समिति, मुद्दा दर मुद्दा आधार की अपेक्षाओं पर आश्रित रहते हुए उसके निष्कर्षों में सहायता करने के लिए संबद्ध विभागों या संगमों से प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव इस अधिसूचना के उपबंधों के अननुपालन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(7) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष पर्यावरण और वन मंत्रालय को 31 मार्च तक अपनी वार्षिक की गई कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय समय-समय पर मानीटरी समिति के कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए अपने निदेश देगा ।

[फा. सं. 30/1/2008-ईएसजेड]
डॉ. जी. वी. सुब्रह्मन्यम, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध क

Eco-Sensitive Zone for Abubshehar Wildlife Sanctuary, SIRSA DISTRICT
Sirsa District
Legend
Village
Canals
Roads
National Highway
State Highway
District Road
Village Road
Tracks
District Boundary
Abubshehar Wildlife Sanctuary
Restriction on Activities
No Establishment of highly polluting industry upto 5000 Metres
No Establishment of any polluting industry upto 3000 Metres
No Crushing activity & Wood based industry upto 2000 Metres
No Mining activity upto 1000 metres
1 centimeter equals 1 kilometers
0 1.5 3 6 Kms
74°21'0"E
74°24'0"E
74°27'0"E
74°30'0"E
74°33'0"E
74°36'0"E
74°39'0"E
74°42'0"E
29°54'0"N
29°48'0"N
29°45'0"N

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2009

S.O. 1398(E).— WHEREAS, the Abubshaher Wildlife Sanctuary represents a typical desert eco-system, but there is no plant found here which is endemic to this area and is known for its open habitat of Black Bucks and due to increasing human activities may force some of them leave the area in search of safer habitat;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area upto five kilometers from the boundary of the protected area of Abubshaher Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view;

AND WHEREAS, the Central Government proposes to notify the area up to five kilometers from the boundary of the protected area of Abubshaher Wildlife Sanctuary enclosed within the boundary described below in the State of Haryana as 'Eco Sensitive Zone' (hereinafter called as the Eco Sensitive Zone) in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and for that purpose hereby publish this notification as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may do so in writing for consideration of the Central Government within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110003, or electronically at e-mail address: envisect@nic.in.

DRAFT PROPOSALS

1. Boundaries of Eco-sensitive Zone:-

(i) The said Eco-sensitive Zone is the area upto five kilometers from the boundary of the protected area of Abubshaher Wildlife Sanctuary situated in Sirsa District of Haryana between 29^0 42' 00" to 29^0 57' 00" North latitude and between 74^0 27' 00" to 74^0 45' 00" East longitude.

(ii) The map of the Eco-sensitive Zone is at Annexure-A and the list of the villages falling within five kilometers distance of the boundary of Abubshaher Wildlife Sanctuary in the Eco-sensitive Zone are as follows:
Masitan, Maujgarh, Munawall, Garusar, Kaluana, Lohgarh, Shergarh, Lambi, Dhani Nanupura, Modi, Govindgarh, Lakhuwana, Ganga Dhani.

(iii) All activities in the Abubshaher Wildlife Sanctuary are being governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972).

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone:-

(i) A Zonal Master .Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government within a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette and submitted for approval to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, Government of India.

(ii) The Zonal Master Plan shall be prepared with due involvement of all concerned State Departments, such as Environment, Forest, Urban Development, Tourism, Municipal and Revenue Department and the Haryana State Pollution Control Board for integrating environmental and ecological considerations into it and shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(iii) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing village settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and change of land use from green uses such as orchards, horticulture areas, agriculture parks and others like places to non green uses shall be permitted in the Zonal Master Plan, except that strictly limited conversion of agricultural lands maybe permitted to meet the residential needs of the existing local residents together with natural growth of the existing local populations, without the prior approval of the State Government.

(iv) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the State Level Monitoring Committee for any decision to be taken by them including consideration for relaxation.

(v) The Zonal Master Plan shall indicate measures and lay down stipulations for regulation of traffic.

(vi) Pending the preparation of the Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone and approval thereof by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, all new constructions shall be allowed only after the proposals are scrutinized and approved by the Monitoring Committee as referred to in paragraph 4 and there shall be no consequential reduction in Forest, Green and Agricultural area.

(vii) The State Government shall prescribe additional measures, if necessary, in furtherance of the objectives and for giving effect to the provisions of this notification.

3. Regulated or restrictive activities in the Eco-sensitive Zone -

(a) Industrial Units:-

(I) No wood based industry shall be set up within two kilometers from the boundary of the Abubshaher Wildlife Sanctuary.

(II) No new polluting industry shall be set up within three kilometers from the boundary of the Abubshaher Wildlife Sanctuary.

(III) No new highly polluting industry shall be set up within five kilometers from the boundary of the Abubshaher Wildlife Sanctuary.

(b) Construction Activities:-

(I) From the boundary of Abubshaher Wildlife Sanctuary upto a distance of one hundred meters, no new construction of any kind shall be allowed except tube well chamber of dimension not more than one thousand cubic inches.

(II) In the area falling between one hundred meters to three hundred meters from the boundary of Abubshaher Wildlife Sanctuary, new construction of any building more than two storeys (twenty five feet) shall not be allowed.

(c) Quarrying and Mining:-

I. Mining up to one kilometer shall not be allowed from the boundary of the protected area of Abubshaher Wildlife Sanctuary.

II. Crushing activity upto two kilometers shall not be allowed from the boundary of the protected area of Abubshaher Wildlife Sanctuary.

(d) Trees:- Felling of trees on forest and revenue land shall be subject to the approved management plan by the Government or an authority nominated for that purpose.

(e) Water:-

(i) Extraction of ground water shall be permitted only for the bona-fide agricultural and domestic consumption and sale of ground water shall be permitted except with the prior approval of the State Ground Water Board.

(ii) All steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water including from agriculture.

(f) Noise pollution:- The Environment Department or the State Forest Department, Haryana shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of noise in the Eco-sensitive Zone.

(g) Discharge of effluents:- No untreated or industrial effluent shall be permitted to be discharged into any water body within the Eco-sensitive Zone and treated effluent shall meet the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

(h) Solid Wastes:-

(i) The solid waste disposal shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 and the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components.

(ii) The biodegradable material may be recycled preferably through composting or vermiculture and the inorganic material may be disposed of in an environmentally acceptable manner at a site identified outside the Eco-sensitive Zone and burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

4. Monitoring Committee -

(1) Under the provisions of sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a committee to be called the Monitoring Committee to monitor the compliance with the provisions of this notification.

(2) The Monitoring Committee shall consist of not more than ten members and the Chairman of the Monitoring Committee shall be an eminent person with proven managerial or administrative experience and understanding of local issues and the other members shall be:-

(I) Deputy Conservator of Forests (Wild Life), Sirsa as the Member Secretary;
(II) a representative of the Ministry of Environment and Forests, Government of India; Member
(III) one representative of Non-Governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of India; Member
(IV) Regional Officer, Haryana State Pollution Control Board, Hisar; Member
(V) senior Town Planner of the area; Member.

(3) The powers and functions of the Monitoring Committee shall be restricted to the compliance of the provisions of this notification only.

(4) In case of activities requiring prior permission or environmental clearance, such activities shall be referred to the State Level Environment Impact Assessment Authority, which shall be the Competent Authority for grant of such clearances as per the provisions of the Environmental Impact Assessment Notification, dated the 14th September 2007.

(5) The Monitoring Committee may also invite representatives or experts from concerned Departments or Associations to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Chairman or Member Secretary of Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 for non-compliance of the provisions of this notification.

(7) The Monitoring Committee shall submit its annual action taken reports by the 31st March of every year to the Ministry of Environment and Forests and the Central Government in the Ministry of Environment and Forests shall give directions to the Monitoring Committee from time to time for effective discharge of the functions of the Monitoring Committee.

[F. No. 30/1/2008-ESZ]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

ANNEXURE A

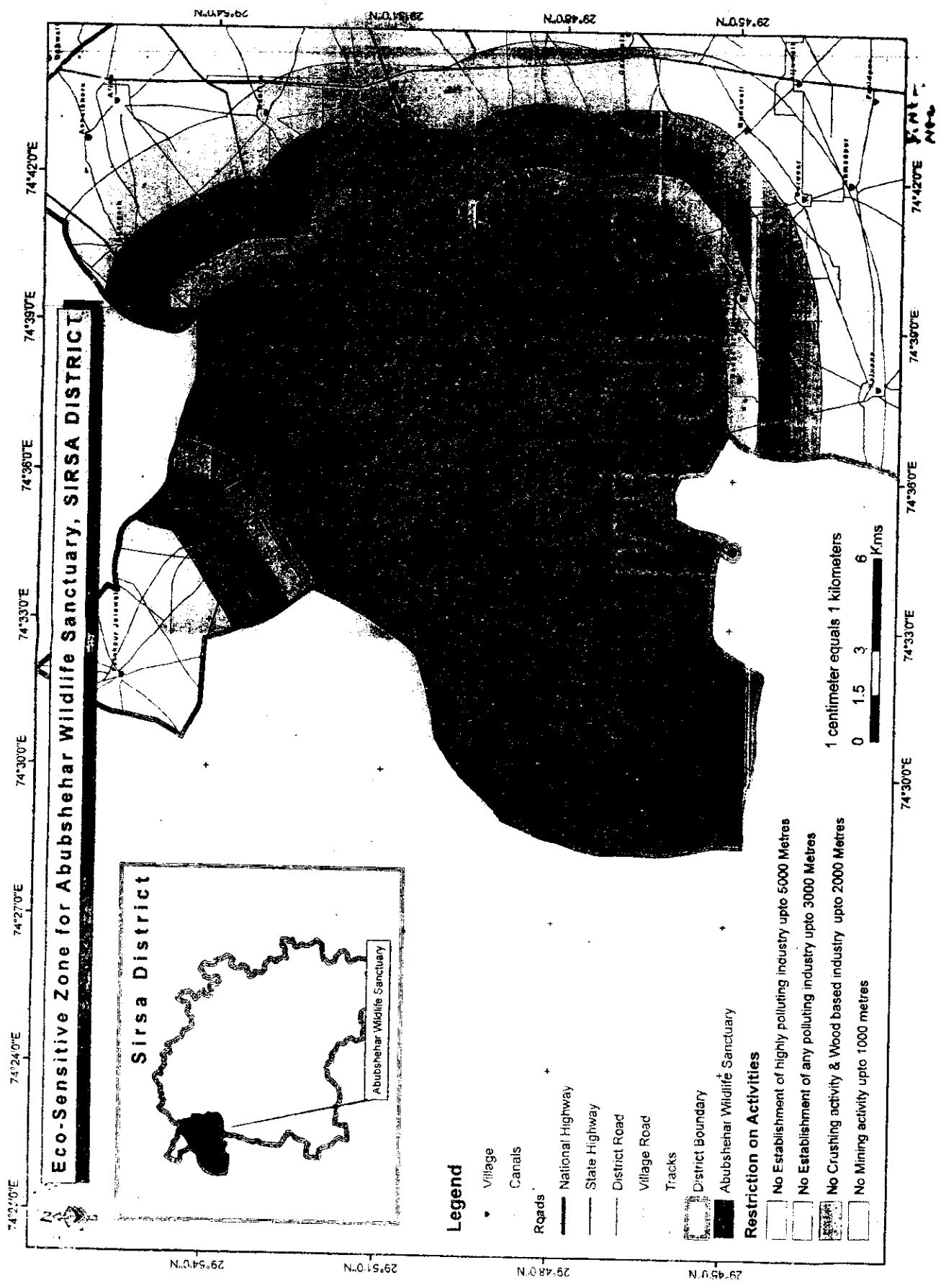
Eco-Sensitive Zone for Abubshehar Wildlife Sanctuary, SIRSA DISTRICT
Sirsa District
Abubshehar Wildlife Sanctuary
Legend
Village
Canals
Roads
National Highway
State Highway
District Road
Village Road
Tracks
District Boundary
Abubshehar Wildlife Sanctuary
Restriction on Activities
No Establishment of highly polluting industry upto 5000 Metres
No Establishment of any polluting industry upto 3000 Metres
No Crushing activity & Wood based industry upto 2000 Metres
No Mining activity upto 1000 metres
1 centimeter equals 1 kilometers
0 1.5 3 6 Kms
74°30'0"E
74°33'0"E
74°36'0"E
74°39'0"E
74°42'0"E
29°45'0"N
29°48'0"N
29°51'0"N
29°54'0"N

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2009

का.आ. 1399(अ).— भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण (दिल्ली के पश्चिम से लगभग 80 किमी.) शीतकाल तथा राजस्थान के भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान में जल समस्या के दौरान 250 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षियों की लगभग 35000 किस्मों को आकर्षित करता है और यह अभ्यारण प्रवासी जल मुर्गियों के लिए वैकल्पिक शीतकालीन स्थल उपलब्ध करवाता है जिसके कारण इसका महत्व बढ़ गया है ;

और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र का पारिस्थितकीय और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के रूप में सुरक्षा और संरक्षण करने की आवश्यकता है ;

और केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य में नीचे वर्णित सीमा के भीतर संलग्न भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र को 'पर्यावरणीय संवेदनशील जोन' (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरणीय संवेदनशील जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव करती है और इस प्रयोजन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन अपेक्षानुसार इस अधिसूचना को उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जन साधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, सात दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को डाक द्वारा लिखित में या इलेक्ट्रानिक रूप से ई-मेल पता: envisect@nic.in पर सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए ऐसा कर सकेगा ।

प्रारूप प्रस्ताव

1. पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन -

(i) उक्त पारिस्थितिकीय संवदेनशील जोन भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक का क्षेत्र है, जो हरियाणा के झज्झर जिले में 28° 28' 00" से 28° 36' 00" उत्तरी अक्षांश और 76°

28' 00" से 76° 38' 00" पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है और पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन का मानचित्र उपाबंध -क पर है और पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण की सीमा के पांच किलोमीटर के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची निम्नानुसार है :

आजादनगर, खपरवास, बहालगढ़, बम्बुलिया, मुंडाहरा, खुंडेराली, निलाहेरी, चंदौल, धाकला, कासनी, हसनपुर, जवाहरनगर, करौंधा, सूरजगढ़, कोयलपुरी, कौंजीया, खेतावास, फतेहपुरी, भिंडवास, शहाजहांपुर कनावाह, नवादा, रेधुवास, चधवाना, बिलोचपुर ।

(ii) भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण के सभी क्रियाकलाप वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों द्वारा शासित किए जा रहे हैं ।

2. पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर-

(i) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर तैयार किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(ii) जोनल मास्टर प्लान सभी संबद्ध राज्य विभागों जैसे पर्यावरण, वन, शहरी विकास, पर्यटन, नगरपालिका और राजस्व विभाग तथा इसके पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारों को समन्वित करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सम्यक् रूप से सम्मिलित करके तैयार किया जाएगा तथा निरावृत्त क्षेत्रों के पुनरुद्भवन, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलागम क्षेत्रों के प्रबंध, जल भरण प्रबंध, भूमिगत जल प्रबंध, मृदा और आर्द्रता संरक्षण, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं के लिए उपबंध किया जाएगा, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

(iii) जोनल मास्टर प्लान सभी विद्यमान ग्राम स्थापनों, वनों के प्रकार और किस्म, कृषि क्षेत्र, उर्वरक भूमि, हरित क्षेत्र, बागवानी क्षेत्र, बागानों, झीलों और अन्य जल निकायों का सीमांकन करेगा और हरित उपयोग से भूमि के उपयोग में जैसे बागान, बागवानी क्षेत्र, कृषि उद्यान और ऐसे ही अन्य स्थानों को गैर हरित उपयोग के लिए परिवर्तित करना तब के सिवाय जोनल मास्टर प्लान में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब कृषि भूमियों का बिल्कुल सीमित संपरिवर्तन विद्यमान स्थानीय जनसंख्या के प्राकृतिक विकास के साथ विद्यमान स्थानीय निवासियों की आवासीयं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो ।

(iv) जोनल मास्टर प्लान राज्य स्तरीय मानीटरी समिति के लिए उनके द्वारा लिए जाने वाले किसी विनिश्चय हेतु जिसके अंतर्गत शिथिल करने के लिए विचार किया जाना भी है, एक संदर्भ दस्तावेज होगा ।

2089 GI/09-6

(v) जोनल मास्टर प्लान, यातायात के विनियमन के लिए उपाय उपदर्शित करेगा और अनुबंधों को अधिकथित करेगा ।

(vi) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान की तैयारी के लंबित रहने और केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उसका अनुमोदन सभी नए संनिर्माण प्रस्तावों की संवीक्षा किए जाने और पैरा चार में यथानिर्दिष्ट मानीटरी समिति द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात् ही अनुज्ञात किया जाएगा और वन, हरित और कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कमी नहीं होगी ।

(vii) राज्य सरकार उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि आवश्यक हों, विहित करेगी ।

3. पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में विनियमित या निर्बंधित क्रियाकलाप-

(क) औद्योगिक इकाइयां :-

(I) भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से दो किलोमीटर के भीतर किसी नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

(II) भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से तीन किलोमीटर के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

(III) भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से पांच किलोमीटर के भीतर किसी नए उच्च प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

(ख) संनिर्माण क्रियाकलाप :-

(I) भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से सौ मीटर की दूरी तक एक हजार घन इंच से अनधिक की विमाओं के नलकूप चैंबर के सिवाय, किसी प्रकार का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(II) भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से सौ मीटर से तीन सौ मीटर के बीच आने वाले क्षेत्र में दो मंजिला (पच्चीस फीट) से अधिक किसी भवन का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ग) उत्खनन और खनन :-

(I) भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक खनन कार्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(II) भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दो किलोमीटर तक संदलन कार्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(घ) **वृक्ष :-** वन और राजस्व भूमि पर वृक्षों की कटाई सरकार या उस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रबंध योजना के अधीन रहते हुए की जाएगी ।

(ङ) **जल :-**

(i) भूमिगत जल का निष्कर्षण केवल सद्भावपूर्वक कृषि और घरेलू खपत के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और राज्य भूमिगत जल बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, भू-जल का विक्रय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ii) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि से संदूषण और प्रदूषण भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।

(च) **ध्वनि प्रदूषण :-** पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग हरियाणा पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में ध्वनि नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनिमय बनाने वाला प्राधिकारी होगा ।

(छ) **बहिस्रावों का निर्वहन :-** पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के भीतर किसी जल निकाय में कोई अनुपचारित या औद्योगिक बहिस्राव निर्गमन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और उपचारित बहिस्राव जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों को पूरा करेंगे ।

(ज) **ठोस अपशिष्ट :-**

(i) ठोस अपशिष्ट के व्ययन का क्रियान्वयन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा और स्थानीय प्राधिकारी जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथकन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ।

(ii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा और अकार्बनिक सामग्री का व्ययन किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के बाहर चिन्हित किए गए स्थल पर किया जाएगा तथा ठोस अपशिष्टों का जलाना या भस्मीकरण पारिस्थतिकीय संवेदनशील जोन में अनुज्ञात किया जाएगा ।

4. मानीटरी समिति-

(1) केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का अनुपालन को मानीटर करने के लिए मानीटरी समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन करती है ।

(2) मानीटरी समिति दस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी और मानीटरी समिति का अध्यक्ष ऐसा विख्यात व्यक्ति होगा जिसको सिद्ध प्रबंधकीय या प्रशासनिक अनुभव और स्थानीय मुद्दों की समझ हो तथा अन्य सदस्य निम्नलिखित होंगे :–

I. उप वन पालक (वन्य जीव), झज्जर, सदस्य-सचिव ;

II. भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ; सदस्य

III. पर्यावरण (धरोहर संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ; सदस्य

IV. प्रादेशिक अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बहादुरगढ़; सदस्य

V. क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार ; सदस्य

(3) मानीटरी समिति की शक्तियां और कृत्य केवल इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन तक निर्बंधित होंगे ।

(4) ऐसे क्रियाकलापों की दशा में, जिनमें पूर्व अनुमति या पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित है, ऐसे क्रियाकलाप राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए) को निर्दिष्ट किए जाएंगे जो पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना तारीख 14 सितंबर, 2007 के उपबंधों के अनुसार ऐसी अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा ।

(5) मानीटरी समिति, मुद्दा दर मुद्दा आधार की अपेक्षाओं पर आश्रित रहते हुए उसके निष्कर्षों में सहायता करने के लिए संबद्ध विभागों या संगमों से प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव इस अधिसूचना के उपबंधों के अननुपालन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(7) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष पर्यावरण और वन मंत्रालय को 31 मार्च तक अपनी वार्षिक की गई कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय समय-समय पर मानीटरी समिति के कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए अपने निदेश देगा ।

[फा. सं. 30/1/2008-ईएसजेड]
डॉ. जी. वी. सुब्रह्मन्यम, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध क

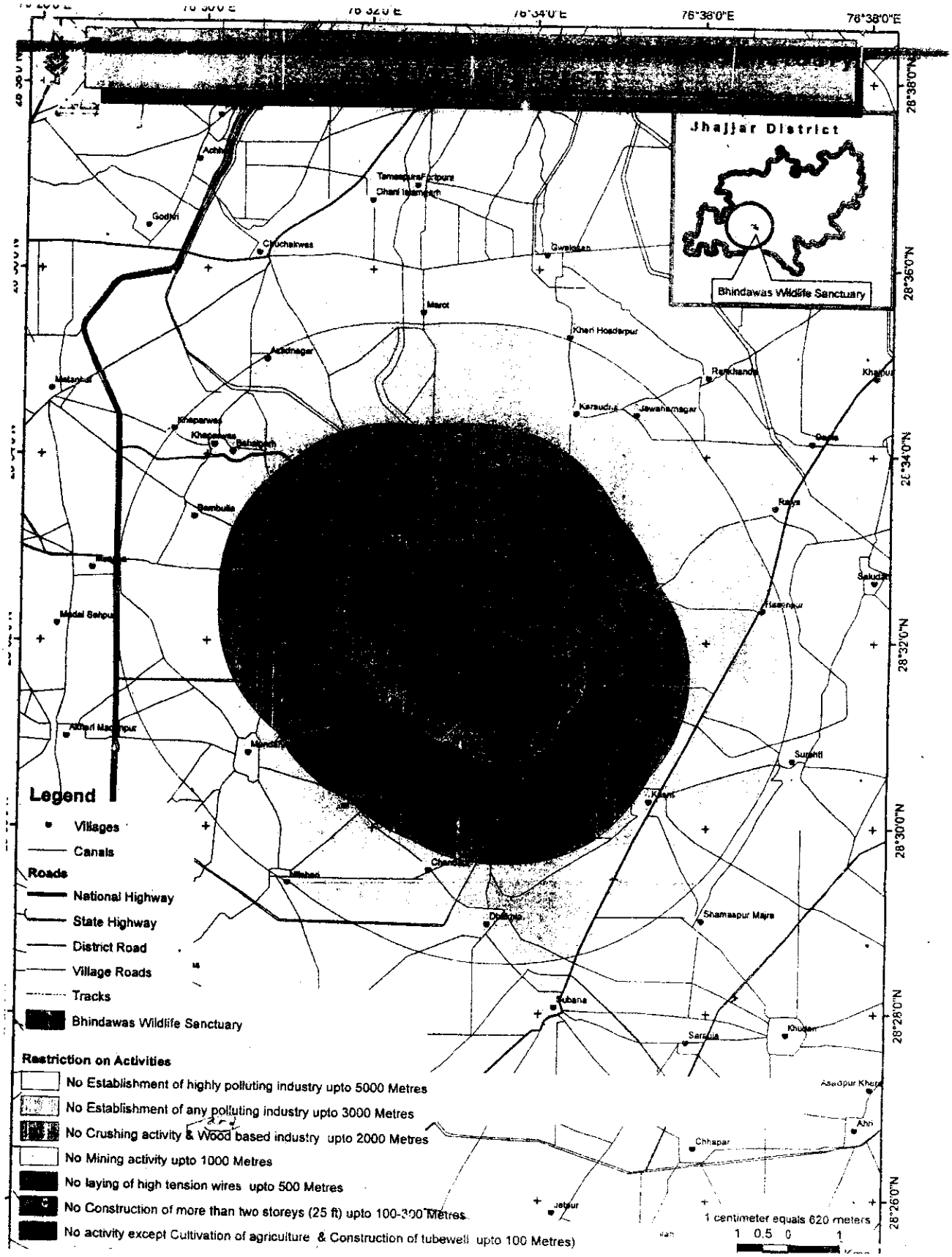
Jhajjar District
Bhindawas Wildlife Sanctuary
Legend
Villages
Canals
Roads
National Highway
State Highway
District Road
Village Roads
Tracks
Bhindawas Wildlife Sanctuary
Restriction on Activities
No Establishment of highly polluting industry upto 5000 Metres
No Establishment of any polluting industry upto 3000 Metres
No Crushing activity & Wood based industry upto 2000 Metres
No Mining activity upto 1000 Metres
No laying of high tension wires upto 500 Metres
No Construction of more than two storeys (25 ft) upto 100-300 Metres
No activity except Cultivation of agriculture & Construction of tubewell upto 100 Metres)
1 centimeter equals 620 meters
1 0.5 0 1
76°32'0"E
76°34'0"E
76°36'0"E
76°38'0"E
28°38'0"N
28°36'0"N
28°34'0"N
28°32'0"N
28°30'0"N
28°28'0"N
28°26'0"N

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2009

S.O. [illegible].—WHEREAS, the Bhindawas Wildlife Sanctuary (about 80 kilometers from West of Delhi) attracts around [illegible] of migratory birds belonging to over 250 species during winter and water [illegible] at Bharatpur National Park of Rajasthan, this Sanctuary provides an alternate wintering site to the migratory water fowls which has enhanced its importance;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area upto five kilometers from the boundary of the protected area of Bhindawas Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view;

AND WHEREAS, the Central Government proposes to notify the area up to five kilometers from the boundary of the protected area of Bhindawas Wildlife Sanctuary enclosed within the boundary described below in the State of Haryana as 'Eco Sensitive Zone' (hereinafter called as the Eco Sensitive Zone) in exercise of the powers conferred by sub section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and for that purpose hereby publish this notification as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may do so in writing for consideration of the Central Government within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110003, or electronically at e-mail address: envisect@nic.in.

DRAFT PROPOSALS

1. Boundaries of Eco-sensitive Zone:-

(i) The said Eco sensitive Zone is the area upto five kilometers from the boundary of the protected area of Bhindawas Wildlife Sanctuary situated in the Jhajjar District of Haryana between 28^{0} 28' 00" to 28^{0} 36' 00" North latitude and between 76^{0} 28' 00" to 76^{0} 38' 00" East longitude and the map of the Eco-sensitive Zone is at Annexure-A and the list of the villages falling within five kilometers distance of the boundary of Bhindawas Wildlife Sanctuary in the Eco sensitive Zone are as follows:

[illegible], Khaparwas, [illegible], Bambolia, [illegible], Khunderali, Nilaheri, Chandaul, [illegible], Kasni, [illegible], [illegible]nagar, [illegible], [illegible]garh, Koyalpuri, Kamnjiah, [illegible], Fatehpuri, [illegible], Shahjehanpur, [illegible], Navada, Redhuwas, Chadhwana, Bilochpur.

(iii) All activities in the Bhindawas Wildlife Sanctuary are being governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972).

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone:-

(i) A Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government within a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette and submitted for approval to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, Government of India.

(ii) The Zonal Master Plan shall be prepared with due involvement of all concerned State Departments, such as Environment, Forest, Urban Development, Tourism, Municipal and Revenue Department and the Haryana State Pollution Control Board for integrating environmental and ecological considerations into it and shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(iii) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing village settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and change of land use from green uses such as orchards, horticulture areas, agriculture parks and others like places to non green uses shall be permitted in the Zonal Master Plan, except that strictly limited conversion of agricultural lands maybe permitted to meet the residential needs of the existing local residents together with natural growth of the existing local populations, without the prior approval of the State Government.

(iv) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the State Level Monitoring Committee for any decision to be taken by them including consideration for relaxation.

(v) The Zonal Master Plan shall indicate measures and lay down stipulations for regulation of traffic.

(vi) Pending the preparation of the Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone and approval thereof by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, all new constructions shall be allowed only after the proposals are scrutinized and approved by the Monitoring Committee as referred to in paragraph 4 and there shall be no consequential reduction in Forest, Green and Agricultural area.

(vii) The State Government shall prescribe additional measures, if necessary, in furtherance of the objectives and for giving effect to the provisions of this notification.

3. Regulated or restrictive activities in the Eco-sensitive Zone -

(a) Industrial Units:-

(I) No new wood based industry shall be set up within two kilometers from the boundary of the Bhindawas Wildlife Sanctuary.

(II) No new polluting industry shall be set up within three kilometers from the boundary of the Bhindawas Wildlife Sanctuary.

(III) No new highly polluting industry shall be set up within five kilometers from the boundary of the Bhindawas Wildlife Sanctuary.

(b) Construction Activities:-

(I) From the boundary of Bhindawas Wildlife Sanctuary upto a distance of one hundred meters, no new construction of any kind shall be allowed except tube well chamber of dimension not more than one thousand cubic inches.

(II) In the area falling between one hundred meters to three hundred meters from the boundary of BhindawasWildlife Sanctuary, new construction of any building more than two storeys (twenty five feet) shall not be allowed.

(c) Quarrying and Mining:-

I. Mining up to one kilometer shall not be allowed from the boundary of the protected area of Bhindawas Wildlife Sanctuary.

II. Crushing activity upto two kilometers shall not be allowed from the boundary of the protected area of Bhindawas Wildlife Sanctuary.

(d) Trees:- Felling of trees on forest and revenue land shall be subject to the approved management plan by the Government or an authority nominated for that purpose.

(e) Water:-

(i) Extraction of ground water shall be permitted only for the bona-fide agricultural and domestic consumption and sale of ground water shall be permitted except with the prior approval of the State Ground Water Board.

(ii) All steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water including from agriculture.

(f) Noise pollution:- The Environment Department or the State Forest Department, Haryana shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of noise in the Eco-sensitive Zone.

(g) Discharge of effluents:- No untreated or industrial effluent shall be permitted to be discharged into any water body within the Eco-sensitive Zone and treated effluent shall meet the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

(h) Solid Wastes:-

(i) The solid waste disposal shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 and the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components.

(ii) The biodegradable material may be recycled preferably through composting or vermiculture and the inorganic material may be disposed of in an environmentally acceptable manner at a site identified outside the Eco-sensitive Zone and burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

4. Monitoring Committee:-

(1) Under the provisions of sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a committee to be called the Monitoring Committee to monitor, the compliance with the provisions of this notification.

(2) The Monitoring Committee shall consist of not more than ten members and the Chairman of the Monitoring Committee shall be an eminent person with proven managerial or administrative experience and understanding of local issues and the other members shall be:-

(I) Deputy Conservator of Forests (Wild Life), Jhajjar as the Member Secretary;
(II) a representative of the Ministry of Environment and Forests, Government of India; Member
(III) one representative of Non-Governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of India; Member
(IV) Regional Officer, Haryana State Pollution Control Board, Bahadurgarh; Member
(V) senior Town Planner of the area; Member.

(3) The powers and functions of the Monitoring Committee shall be restricted to the compliance of the provisions of this notification only.

(4) In case of activities requiring prior permission or environmental clearance, such activities shall be referred to the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), which shall be the Competent Authority for grant of such clearances as per the provisions of the Environmental Impact Assessment Notification, dated the 14th September 2007.

(5) The Monitoring Committee may also invite representatives or experts from concerned Departments or Associations to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Chairman or Member Secretary of Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 for non-compliance of the provisions of this notification.

(7) The Monitoring Committee shall submit its annual action taken reports by the 31st March of every year to the Ministry of Environment and Forests and the Central Government in the Ministry of Environment and Forests shall give directions to the Monitoring Committee from time to time for effective discharge of the functions of the Monitoring Committee.

[F. No. 30/1/2008-ESZ]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

ANNEXURE A

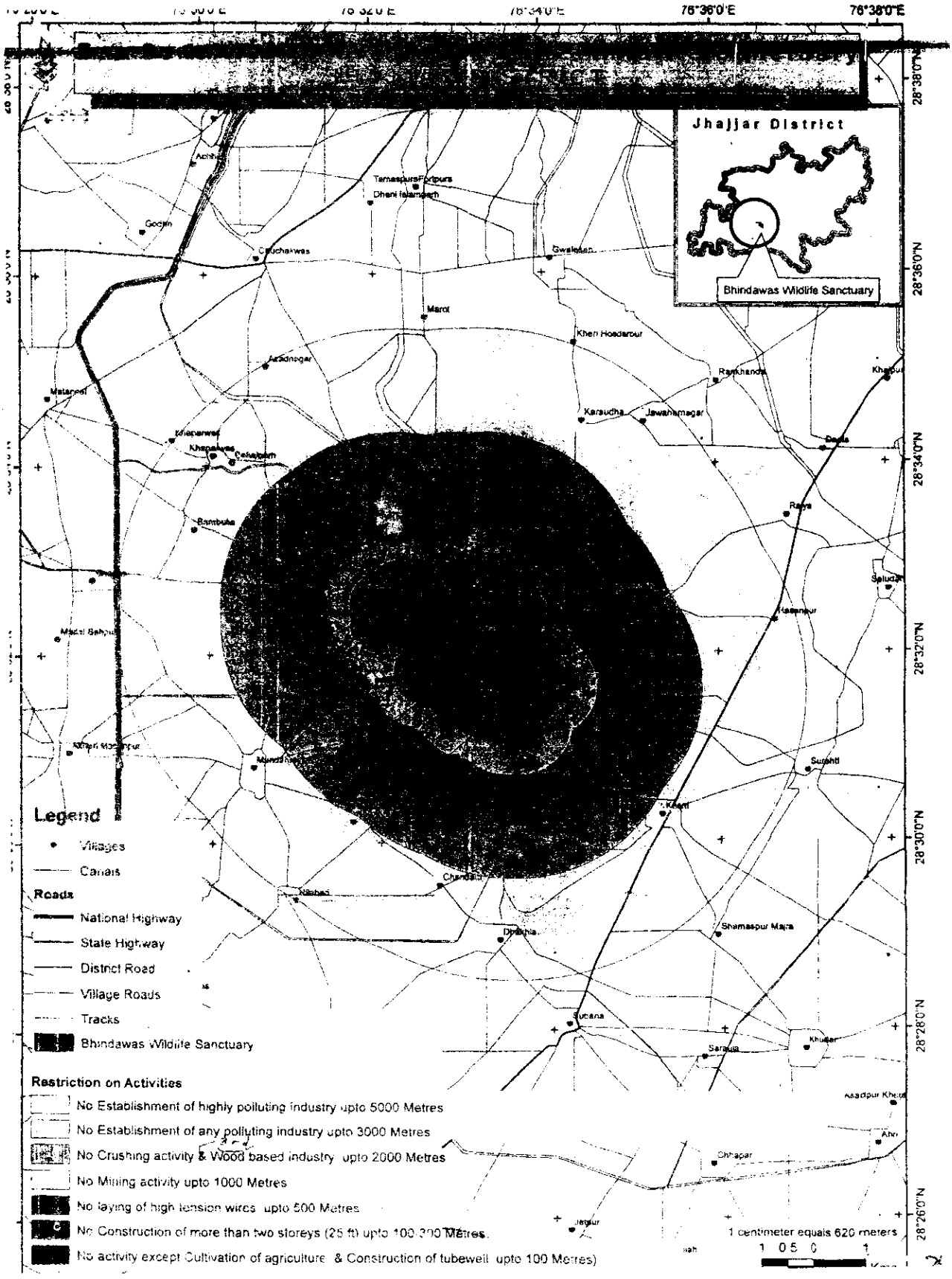
76°36'0"E
76°38'0"E
28°38'0"N
28°36'0"N
28°34'0"N
28°32'0"N
28°30'0"N
28°28'0"N
28°26'0"N
Jhajjar District
Bhindawas Wildlife Sanctuary
Legend
Villages
Canals
Roads
National Highway
State Highway
District Road
Village Roads
Tracks
Bhindawas Wildlife Sanctuary
Restriction on Activities
No Establishment of highly polluting industry upto 5000 Metres
No Establishment of any polluting industry upto 3000 Metres
No Crushing activity & Wood based industry upto 2000 Metres
No Mining activity upto 1000 Metres
No laying of high tension wires upto 500 Metres
No Construction of more than two storeys (25 ft) upto 100-300 Metres
No activity except Cultivation of agriculture & Construction of tubewell upto 100 Metres)
1 centimeter equals 620 meters
1 0.5 0 1

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2009

का.आ. 1400(अ).—**खपरवास** वन्य जीव अभ्यारण (दिल्ली के पश्चिम से लगभग 80 किमी.) **बड़ी** संख्या में और अनेक किस्मों के प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है और यह भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण से लगभग 1.5 किमी. की दूरी पर स्थित है ;

और खपरवास वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र का पारिस्थितकीय और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के रूप में सुरक्षा और संरक्षण करने की आवश्यकता है ;

और केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य में नीचे वर्णित सीमा के भीतर संलग्न खपरवास वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र को 'पर्यावरणीय संवेदनशील जोन' (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरणीय संवेदनशील जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव करती है और इस प्रयोजन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन अपेक्षानुसार इस अधिसूचना को उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जन साधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को डाक द्वारा लिखित में या इलेक्ट्रानिक रूप से ई-मेल पता: envisect@nic.in पर सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए ऐसा कर सकेगा ।

प्रारूप प्रस्ताव

1. पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन -

(i) उक्त पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन खपरवास वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक का क्षेत्र है, जो हरियाणा के झझर जिले में 28° 30' 00" से 28° 38' 00" उत्तरी अक्षांश और 76° 28' 00" से 76° 38' 00" पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है और पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन का मानचित्र

उपबंध -क पर है और पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में खपरवास वन्य जीव अभ्यारण की सीमा के पांच किलोमीटर के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची निम्नानुसार है :

छुछकवास, मरोट, खेरी होसदारपुर, करौधा, शहजाहांपुर, चधवाना, रेधुवास, मुंडास, धानी इस्लामगढ़, आजादनगर,, खपरवास, बहालगढ़, बम्बुलिया, खेतावास, कोयलपुरी, बिलोचपुर, भिंडवास, सूरजगढ़, नवादा ।

(ii) खपरवास वन्य जीव अभ्यारण के सभी क्रियाकलाप वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों द्वारा शासित किए जा रहे हैं ।

2. **पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर-**

(i) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर तैयार किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(ii) जोनल मास्टर प्लान सभी संबद्ध राज्य विभागों जैसे पर्यावरण, वन, शहरी विकास, पर्यटन, नगरपालिका और राजस्व विभाग तथा इसके पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारों को समन्वित करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सम्यक् रूप से सम्मिलित करके तैयार किया जाएगा तथा निरावृत्त क्षेत्रों के पुनर्स्थापन, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलागम क्षेत्रों के प्रबंध, जल भरण प्रबंध, भूमिगत जल प्रबंध, मृदा और आर्द्रता संरक्षण, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं के लिए उपबंध किया जाएगा, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

(iii) जोनल मास्टर प्लान सभी विद्यमान ग्राम स्थापनों, वनों के प्रकार और किस्म, कृषि क्षेत्र, उर्वरक भूमि, हरित क्षेत्र, बागवानी क्षेत्र, बागानों, झीलों और अन्य जल निकायों का सीमांकन करेगा और हरित उपयोग से भूमि के उपयोग में जैसे बागान, बागवानी क्षेत्र, कृषि उद्यान और ऐसे ही अन्य स्थानों को गैर हरित उपयोग के लिए परिवर्तित करना तब के सिवाय जोनल मास्टर प्लान में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब कृषि भूमियों का बिल्कुल सीमित संपरिवर्तन विद्यमान स्थानीय जनसंख्या के प्राकृतिक विकास के साथ विद्यमान स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो ।

(iv) जोनल मास्टर प्लान राज्य स्तरीय मानीटरी समिति के लिए उनके द्वारा लिए जाने वाले किसी विनिश्चय हेतु जिसके अंतर्गत शिथिल करने के लिए विचार किया जाना भी है, एक संदर्भ दस्तावेज होगा ।

(v) जोनल मास्टर प्लान, यातायात के विनियमन के लिए उपाय उपदर्शित करेगा और अनुबंधों को अधिकथित करेगा ।

(vi) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान की तैयारी के लंबित रहने और केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उसका अनुमोदन सभी नए संनिर्माण प्रस्तावों की संवीक्षा किए जाने और पैरा चार में यथानिर्दिष्ट मानीटरी समिति द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात् ही अनुज्ञात किया जाएगा और वन, हरित और कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कमी नहीं होगी ।

(vii) राज्य सरकार उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि आवश्यक हों, विहित करेगी ।

3. पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में विनियमित या निर्बंधित क्रियाकलाप-

(क) औद्योगिक इकाइयां :--

(I) खपरवास वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से दो किलोमीटर के भीतर किसी नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

(II) खपरवास वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से तीन किलोमीटर के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

(III) खपरवास वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से पांच किलोमीटर के भीतर किसी नए उच्च प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

(ख) संनिर्माण क्रियाकलाप :--

(I) खपरवास वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से सौ मीटर की दूरी तक एक हजार घन इंच से अनधिक की विमाओं के नलकूप चैंबर के सिवाय, किसी प्रकार का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(II) खपरवास वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से सौ मीटर से तीन सौ मीटर के बीच आने वाले क्षेत्र में दो मंजिला (पच्चीस फीट) से अधिक किसी भवन का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(III) खपरवास वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से पांच सौ मीटर की दूरी तक नई उच्च दाब वाली पारेषण तार का बिछाया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ग) उत्खनन और खनन :--

(I) खपरवास वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक खनन कार्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(II) खपरवास वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दो किलोमीटर तक संदलन कार्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ङ) जल :--

(i) भूमिगत जल का निष्कर्षण केवल सद्भावपूर्वक कृषि और घरेलू खपत के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और राज्य भूमिगत जल बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, भू-जल का विक्रय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ii) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि से संदूषण और प्रदूषण भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।

(च) **ध्वनि प्रदूषण** :-- पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग हरियाणा पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में ध्वनि नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनिमय बनाने वाला प्राधिकारी होगा ।

(छ) **बहिस्रावों का निर्वहन** :-- पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के भीतर किसी जल निकाय में कोई अनुपचारित या औद्योगिक बहिस्राव निर्गमन अनुज्ञात नही किया जाएगा और उपचारित बहिस्राव जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों को पूरा करेंगे ।

(ज) **ठोस अपशिष्ट** :--

(i) ठोस अपशिष्ट के व्ययन का कियान्वयन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा और स्थानीय प्राधिकारी जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथकन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ।

(ii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृषि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा और अकार्बनिक सामग्री का व्ययन किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के बाहर चिन्हित किए गए स्थल पर किया जाएगा तथा ठोस अपशिष्टों का जलाना या भस्मीकरण पारिस्थतिकीय संवेदनशील जोन में अनुज्ञात किया जाएगा ।

६. **मानीटरी समिति**-

(1) केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का अनुपालन को मानीटर करने के लिए मानीटरी समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन करती है ।

(2) मानीटरी समिति दस से अनाधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी और मानीटरी समिति का अध्यक्ष ऐसा विख्यात व्यक्ति होगा जिसको सिद्ध प्रबंधकीय या प्रशासनिक अनुभव और स्थानीय मुद्दों की समझ हो तथा अन्य सदस्य निम्नलिखित होंगे :—

I. उप वन पालक (वन्य जीव), झज्झर, सदस्य-सचिव ;

II. भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ; सदस्य

III. पर्यावरण (धरोहर संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ; सदस्य

IV. प्रादेशिक अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बहादुरगढ़; सदस्य

V. क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार ; सदस्य

(3) मानीटरी समिति की शक्तियां और कृत्य केवल इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन तक निर्बंधित होंगे ।

(4) ऐसे क्रियाकलापों की दशा में, जिनमें पूर्व अनुमति या पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित है, ऐसे क्रियाकलाप राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए) को निर्दिष्ट किए जाएंगे जो पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना तारीख 14 सितंबर, 2007 के उपबंधों के अनुसार ऐसी अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा ।

(5) मानीटरी समिति, मुद्दा दर मुद्दा आधार की अपेक्षाओं पर आश्रित रहते हुए उसके निष्कर्षों में सहायता करने के लिए संबद्ध विभागों या संगमों से प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव इस अधिसूचना के उपबंधों के अननुपालन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(7) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष पर्यावरण और वन मंत्रालय को 31 मार्च तक अपनी वार्षिक की गई कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय समय-समय पर मानीटरी समिति के कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए अपने निदेश देगा ।

[फा. सं. 30/1/2008-ईएसजेड]
डॉ. जी. वी. सुब्रह्मन्यम, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध क

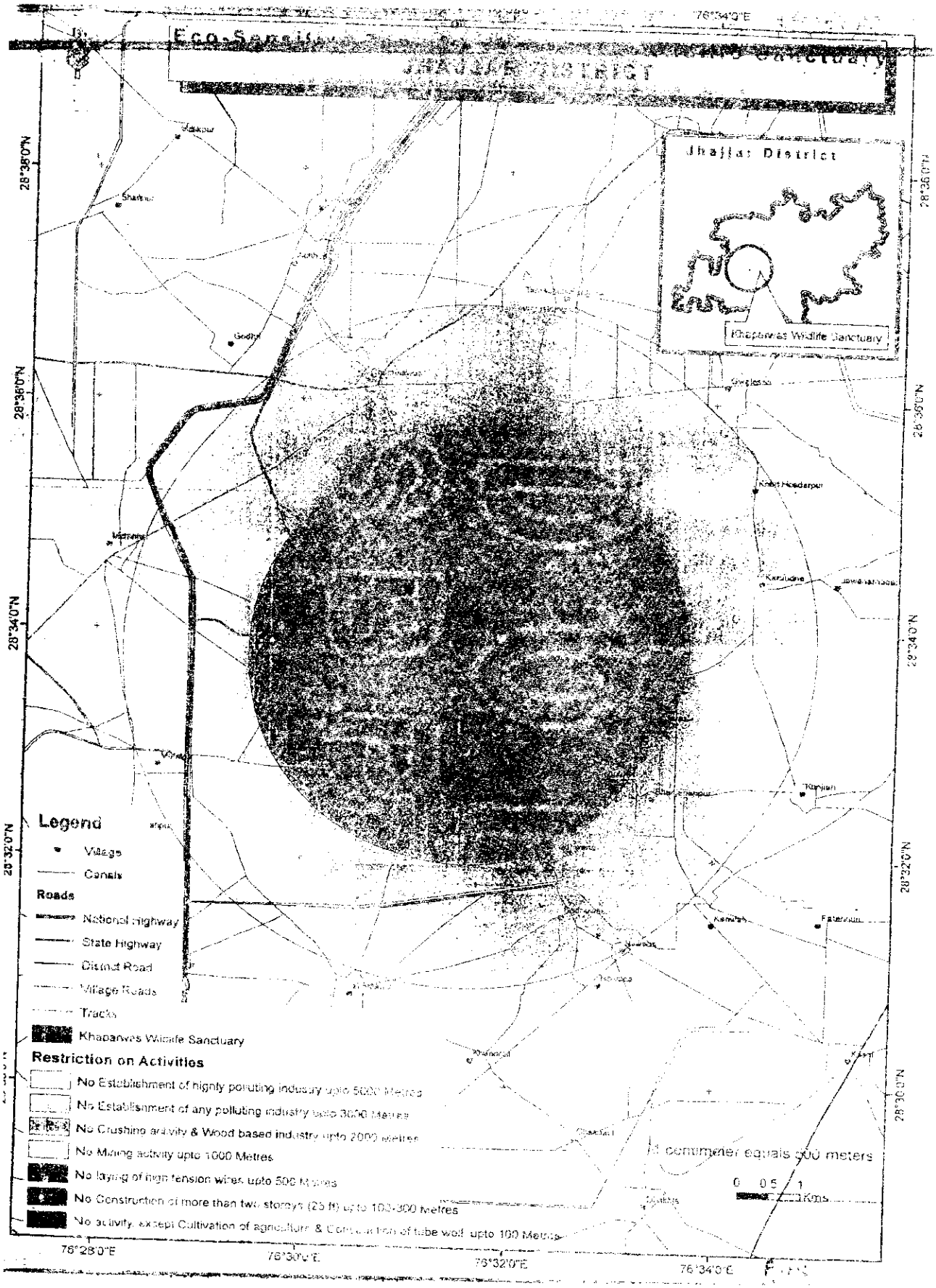

Jhajjar District
Khapanvas Wildlife Sanctuary
Legend
Village
Canals
Roads
National Highway
State Highway
District Road
Village Roads
Tracks
Khapanvas Wildlife Sanctuary
Restriction on Activities
No Establishment of highly polluting industry upto 5000 Metres
No Establishment of any polluting industry upto 3000 Metres
No Crushing activity & Wood based industry upto 2000 Metres
No Mining activity upto 1000 Metres
No laying of high tension wires upto 500 Metres
No Construction of more than two storeys (25 ft) upto 100-300 Metres
No activity except Cultivation of agriculture & Construction of tube well upto 100 Metres
1 centimeter equals 500 meters
0 0.5 1
Kms
76°28'0"E
76°30'0"E
76°32'0"E
76°34'0"E
28°38'0"N
28°36'0"N
28°34'0"N
28°32'0"N
28°30'0"N

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2009

S.O. 1400(E).—WHEREAS, the Khaparwas Wildlife Sanctuary (about 80 kms from West of Delhi) attracts a large number and variety of migratory birds, and situated at a distance of about 1.5 km from Bhindawas Wildlife Sanctuary;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area upto five kilometers from the boundary of the protected area of Khaparwas Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view;

AND WHEREAS, the Central Government proposes to notify the area up to five kilometers from the boundary of the protected area of Khaparwas Wildlife Sanctuary enclosed within the boundary described below in the State of Haryana as 'Eco Sensitive Zone' (hereinafter called as the Eco Sensitive Zone) in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and for that purpose hereby publish this notification as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may do so in writing for consideration of the Central Government within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110003, or electronically at e-mail address: envisect@nic.in.

DRAFT PROPOSALS

1. Boundaries of Eco-sensitive Zone:-

(i) The said Eco-sensitive Zone is the area upto five kilometers from the boundary of the protected area of Khaparwas Wildlife Sanctuary situated in the Jhajjar District of Haryana between 28^0 30' 00" to 28^0 38' 00" North latitude and between 76^0 28' 00" to 76^0 38' 00" East longitude and the map of the Eco-sensitive Zone is at Annexure-A and the list of the villages falling within five kilometers distance of the boundary of Khaparwas Wildlife Sanctuary in the Eco-sensitive Zone are as follows:

Chhuchhakwas, Marot, Kheri Hosdarpur, Karaudha, Sahahjahanpur, Chadhwana, Redhuwas, Mundas, Dhani Islamgarh, Azadnagar, Khaparwas, Bahalgarh, Bambulia, Khetawas, Koyalpuri, Bilochpur, Bhindawas, Surajgarh, Nawada.

(ii) All activities in the Khaparwas Wildlife Sanctuary are being governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972).

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone:-

(i) A Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government within a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette and submitted for approval to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, Government of India.

(ii) The Zonal Master Plan shall be prepared with due involvement of all concerned State Departments, such as Environment, Forest, Urban Development, Tourism, Municipal and Revenue Department and the Haryana State Pollution Control Board for integrating environmental and ecological considerations into it and shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(iii) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing village settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and change of land use from green uses such as orchards, horticulture areas, agriculture parks and others like places to non green uses shall be permitted in the Zonal Master Plan, except that strictly limited conversion of agricultural lands maybe permitted to meet the residential needs of the existing local residents together with natural growth of the existing local populations, without the prior approval of the State Government.

(iv) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the State Level Monitoring Committee for any decision to be taken by them including consideration for relaxation.

(v) The Zonal Master Plan shall indicate measures and lay down stipulations for regulation of traffic.

(vi) Pending the preparation of the Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone and approval thereof by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, all new constructions shall be allowed only after the proposals are scrutinized and approved by the Monitoring Committee as referred to in paragraph 4 and there shall be no consequential reduction in Forest, Green and Agricultural area.

(vii) The State Government shall prescribe additional measures, if necessary, in furtherance of the objectives and for giving effect to the provisions of this notification.

3. Regulated or restrictive activities in the Eco-sensitive Zone -

(a) Industrial Units:-

I. No new wood based industry shall be set up within two kilometers from the boundary of the Khaparwas Wildlife Sanctuary.

II. No new polluting industry shall be set up within three kilometers from the boundary of the Khaparwas Wildlife Sanctuary.

III. No new highly polluting industry shall be set up within five kilometers from the boundary of the Khaparwas Wildlife Sanctuary.

(b) Construction Activities:-

I. From the boundary of Khaparwas Wildlife Sanctuary upto a distance of one hundred meters, no new construction of any kind shall be allowed except tube well chamber of dimension not more than one thousand cubic inches.

II. In the area falling between one hundred meters to three hundred meters from the boundary of Khaparwas Wildlife Sanctuary, construction of any new building more than two storeys (twenty five feet) shall not be allowed.

III. From the boundary of Khaparwas Wildlife Sanctuary to a distance of five hundred meters, laying of new high tension transmission wire shall not be allowed.

(c) Quarrying and Mining:-

I. Mining up to one kilometer shall not be allowed from the boundary of the protected area of Khaparwas Wildlife Sanctuary.

II. Crushing activity upto two kilometers shall not be allowed from the boundary of the protected area of Khaparwas Wildlife Sanctuary.

(d) Trees:- Felling of trees on forest and revenue land shall be subject to the approved management plan by the Government or an authority nominated for that purpose.

(e) Water:-

(i) Extraction of ground water shall be permitted only for the bona-fide agricultural and domestic consumption and sale of ground water shall be permitted except with the prior approval of the State Ground Water Board.

(ii) All steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water including from agriculture.

(f) Noise pollution:- The Environment Department or the State Forest Department, Haryana shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of noise in the Eco-sensitive Zone.

(g) Discharge of effluents:- No untreated or industrial effluent shall be permitted to be discharged into any water body within the Eco-sensitive Zone and treated effluent shall meet the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

(h) Solid Wastes:-

(i) The solid waste disposal shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 and the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components.

(ii) The biodegradable material may be recycled preferably through composting or vermiculture and the inorganic material may be disposed of in an environmentally acceptable manner at a site identified outside the Eco-sensitive Zone and burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

4. Monitoring Committee -

(1) Under the provisions of sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a committee to be called the Monitoring Committee to monitor the compliance with the provisions of this notification.

(2) The Monitoring Committee shall consist of not more than ten members and the Chairman of the Monitoring Committee shall be an eminent person with proven managerial or administrative experience and understanding of local issues and the other members shall be:-

I. Deputy Conservator of Forests (Wild Life), Jhajjar as the Member Secretary;
II. a representative of the Ministry of Environment and Forests, Government of India; Member
III. one representative of Non-Governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of India; Member
IV. Regional Officer, Haryana State Pollution Control Board, Bahadurgarh; Member
V. senior Town Planner of the area; Member

(3) The powers and functions of the Monitoring Committee shall be restricted to the compliance of the provisions of this notification only.

(4) In case of activities requiring prior permission or environmental clearance, such activities shall be referred to the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), which shall be the Competent Authority for grant of such clearances as per the provisions of the Environmental Impact Assessment Notification, dated the 14th September 2007.

(5) The Monitoring Committee may also invite representatives or experts from concerned Departments or Associations to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Chairman or Member Secretary of Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 for non-compliance of the provisions of this notification.

(7). The Monitoring Committee shall submit its annual action taken reports by the 31st March of every year to the Ministry of Environment and Forests and the Central Government in the Ministry of Environment and Forests shall give its directions to the Monitoring Committee from time to time for effective discharge of the functions of the Monitoring Committee.

[F. No. 30/1/2008-ESZ]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

ANNEXURE A

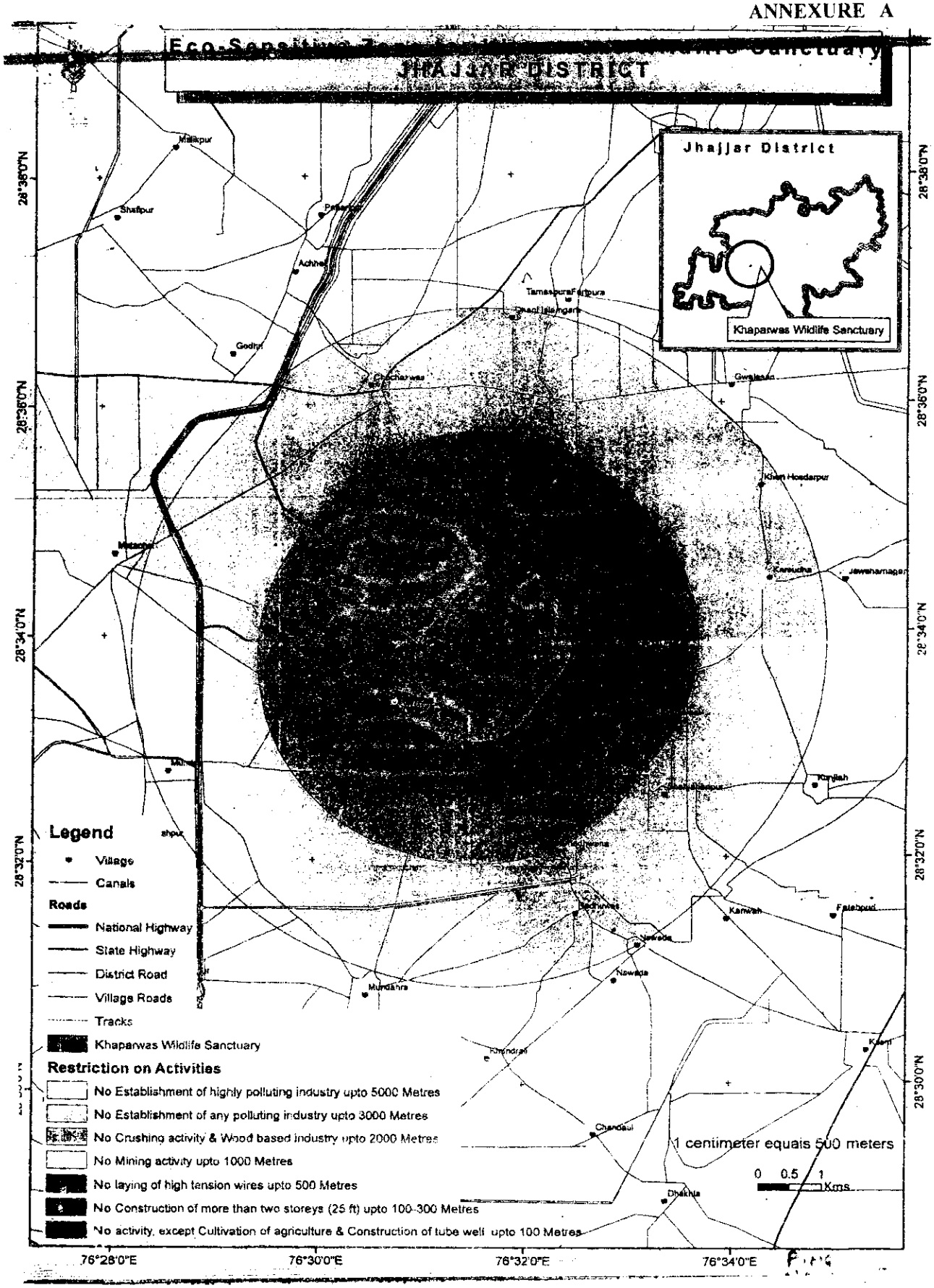

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.